वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report
2016-2017

भारत सरकार
Government of India

विधि और न्याय मंत्रालय
Ministry of Law and Justice

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
1.		प्रस्तावना और मंत्रालय का संगठन	(i - iii)
2.	अध्याय – 1	विधि कार्य विभाग	1 - 54
3.	अध्याय – 2	विधायी विभाग	55 - 114
4.	अध्याय – 3	न्याय विभाग	115 - 161
5.	उपाबंध – I	विधि कार्य विभाग का संगठन चार्ट	162
6.	उपाबंध – II	विधि कार्य विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	163
7.	उपाबंध – III	शाखा सचिवालय कोलकाता द्वारा अधिवक्ताओं को दी गई व्यावसायिक फीस की राशि का विवरण	164
8.	उपाबंध – IV	विधि कार्य विभाग में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	165
9.	उपाबंध – V	विधि कार्य विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	166
10.	उपाबंध – VI	विधायी विभाग का संगठन चार्ट	167
11.	उपाबंध – VII	विधायी विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का ब्योरा	168 - 171
12.	उपाबंध – VIII	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों / भूतपूर्व सैनिकों / शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	172
13.	उपाबंध – IX	विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	173
14.	उपाबंध – X - XI	विधायी विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के सदस्यों / भूतपूर्व सैनिकों / शारीरिक विकलांग व्यक्तियों की संख्या	174
15.	उपाबंध – XII	न्याय विभाग का संगठन चार्ट	175

प्रस्तावना

विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है। इसकी स्थापना वर्ष 1833 में उस समय हुई थी जब ब्रिटिश संसद द्वारा चार्टर अधिनियम, 1833 अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम ने पहली बार विधायी शक्ति को किसी एकल प्राधिकारी, अर्थात गवर्नर जनरल की काउंसिल में निहित किया था। इस प्राधिकार के नाते और इंडियन काउंसिल अधिनियम, 1861 की धारा 22 के अधीन उसमें निहित प्राधिकार के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल ने सन् 1834 से 1920 तक देश के लिए कानून बनाए। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के लागू होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग उसके अधीन गठित भारत के विधानमंडल द्वारा किया गया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 के बाद भारत सरकार अधिनियम, 1935 आया। भारतीय स्वमतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ भारत एक डोमिनियन बन गया और डोमिनियन विधानमंडल ने भारत (अनंतिम संविधान) आदेश, 1947 द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने के बाद विधायी शक्ति संसद में निहित है।

मंत्रालय का संगठन

विधि और न्यासय मंत्रालय में विधायी विभाग, विधि कार्य विभाग और न्यावय विभाग सम्मिलित हैं। जहां तक न्याय विभाग का संबंध है, उसका विवरण एक पृथक अध्यायय (अध्याय III) में दिया गया है।

विधि कार्य विभाग केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को विधिक सलाह देता है जबकि विधायी विभाग केन्द्रीय सरकार के प्रधान विधान के प्रारूपण का कार्य करता है।

मिशन

सरकार को एक दक्ष और उत्तरदायी वादकारी बनाना विधि शिक्षा, विधि व्यवसाय और भारतीय विधि सेवा सहित विधिक सेवाओं में विस्तारि, समावेशन और उत्कृयष्टिता लाने के लिए भारतीय विधि व्यववस्था में सुधार करना विधिक पेशेवरों के सृजन की एक प्रणाली विकसित करना ताकि वे न केवल भारत के बल्कि विश्व के मुकदमा और गैर–मुकदमा क्षेत्रों की भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकें, तथा उनके सामाजिक उत्तररदायित्व और एक दृढ़ व्यायवसायिक आचार नीति पर ध्यान केंद्रित करना। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मुकदमों की भारी तादाद (3.3 करोड़), उसके फलस्वरूप राजकोष पर और मानवशक्ति सहित संसाधनों पर बढ़ते हुए बोझ जैसी बाधाओं को देखते हुए तथा सरकारी प्राधिकारियों को व्यापक विवेकाधीन शक्तिंयां प्रदान करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे मिशन का लक्ष्य प्रशासनिक शक्ति के सुव्यवस्थित प्रवाह, विरोध के प्रबंधन, विधि का शासन लागू करने और सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद देने के लिए एक उचित विधिक ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- मंत्रालयों और विभागों द्वारा भेजे गए मामलों पर विधिक सलाहराय देकर और उनके विधायी प्रस्तावों की जांच करके उनके कार्य संचालन में सहायता देना और सुशासन को बढ़ाना।
- भारतीय विधि सेवा में सुधार करके उसे अधिक दक्ष, अनुक्रियाशील और वैश्विशक स्तार पर प्रतिस्पर्धा के योग्यक बनाना।
- केन्द्रीय अभिकरण अनुभाग के लिए एक वृहद ई–शासन प्रणाली विकसित करना और सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर विधि कार्य विभाग को नया रूप देना।
- मुकदमों को कम करना और विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीकों द्वारा विवादों के समाधान को प्रोत्साहित करना।

- विधि व्यवसाय में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और विधि शिक्षा के क्षेत्र में नवीन युग के प्रवर्तन की रूपरेखा तैयार करना।
- विधिक सुधार करना।
- इस विभाग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधिनियमों, अर्थात अधिवक्तो अधिनियम, 1961, नोटरी अधिनियम, 1952, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और अधिवक्ता1 कल्यानण निधि अधिनियम, 2001 को प्रभावी रूप से लागू करना।

अध्याय–II

विधायी विभाग

जहां तक भारत सरकार के विधायी कारबार का संबंध है, विधायी विभाग मुख्य रूप से एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह विभाग विभिन्न प्रशासनिक विभागों तथा मंत्रालयों के विधायी प्रस्तावों कृत्य सुगम एवं त्वरित रूप से संसाधित करने का कार्य सुनिश्चित करता है।

1. कृत्य

1.1 भारत सरकार का एक सेवा–उन्मुख विभाग होने के नाते विधायी विभाग निम्नलिखित विषयों से संबंधित है:–

(i) सभी विधायी प्रस्तावों के संबंध में मंत्रिमंडल के लिए टिप्पणों का प्रारूपण की दृष्टि से संवीक्षा करना ;

(ii) सभी सरकारी विधेयकों को, जिनके अंतर्गत संविधान (संशोधन) विधेयक भी हैं, संसद में पुरःस्थापित करने के लिए उनका प्रारूपण तैयार करना तथा उनकी विधीक्षा करना, हिन्दी में उनका अनुवाद करना और विधेयकों के अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों पाठ लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय को भेजना; विधेयकों में सरकारी संशोधनों का प्रारूप तैयार करना, गैर–सरकारी संशोधनों की संवीक्षा करना और प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को यह विनिश्चय करने में सहायता देना कि गैर–सरकारी संशोधन स्वीकार किए जाने योग्य हैं या नहीं;

(iii) अधिनियमित किए जाने से पहले विधेयक जिन प्रक्रमों से होकर गुजरता है, उन सभी प्रक्रमों पर संसद, संसद की संयुक्त/स्थायी समितियों की सहायता करना। इसके अंतर्गत समितियों के लिए रिपोर्टों तथा पुनरीक्षित विधेयकों की संवीक्षा करना और उन्हें तैयार करने में सहायता देना भी है ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करना ;

(v) जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन हो, उनके संबंध में राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमित किए जाने वाले विधान का प्रारूप तैयार करना ;

(vi) राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों का प्रारूप तैयार करना ;

(vii) सांविधानिक आदेशों अर्थात उन आदेशों का प्रारूप तैयार करना, जिनका संविधान के अधीन जारी किया जाना अपेक्षित है ;

(viii) सभी कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों और स्कीमों, आदि की संवीक्षा और विधीक्षा करना तथा हिंदी में उनका अनुवाद करना ;

(ix) समवर्ती क्षेत्र के ऐसे राज्य विधान की संवीक्षा करना, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है ;

(x) संघ राज्य क्षेत्रों के विधान–मंडलों द्वारा अधिनियमित किए जाने वाले विधानों की संवीक्षा करना;

(xi) संसद, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के विधान–मंडलों, राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन ;

(xii) निर्वाचनों में हुए व्यय का संघ और राज्यों तथा विधान–मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजन ;

(xiii) भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन सुधार ;

(xiv) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951; निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का प्रशासन;

(xv) निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा–शर्त और कारबार का संव्यवार) अधिनियम, 1991 के अधीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से संबंधित विषय;

(xvi) संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी मामले ;

(xvii) संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वीय विधियों, संपत्ति अंतरण, संविदाओं, साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया आदि से संबंधित विषयो पर विधान ;

(xviii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, आदि के अधिकारियों को विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण प्रदान करना ;

(xix) केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य भाषाओं में उनके प्राधिकृत अनुवादों का प्रकाशन करना और विधिक तथा सांविधिक दस्तावेजों का भी अनुवाद करना।

(xx) विधि पत्रिकाओं के रूप में सांविधिक, सिविल तथा दांडिक विधियों से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के चयनित निर्णयों के हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन'

(2) विधायी विभाग के नियन्त्रणाधीन कोई कानूनी या स्वशासी निकाय नहीं है। इसके अधीन दो अन्य खंड भी हैं अर्थात, राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन, जो विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य राजभाषाओं के प्रसार के लिए उत्तरदायी हैं।

(क) विधायी विभाग का राजभाषा खंड मानक विधि शब्दावली तैयार करने और प्रकाशित करने और राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन यथाअपेक्षित संसद में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों, सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, अधीनस्थ विधानों आदि का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए उत्तरदायी है। यह खंड प्राधिकृत पाठ (केन्द्रीय विधि) अधिनियम, 1973 के अधीन यथाअपेक्षित संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिदिष्ट राजभाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों आदि के अनुवाद की व्यवस्था करने के लिए भी उत्तरदायी है। राजभाषा खंड हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के संवर्धन और प्रसार में लगे विभिन्न रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगठनों और ऐसे संगठनों को, जो सीधे विधिक साहित्य के प्रकाशन और विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के प्रसार में लगे हैं, सहायता अनुदान भी जारी करता है।

(ख) विधि साहित्य प्रकाशन प्रमुख रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के प्रतिवेद्य निर्णयों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित करने से संबद्ध है, जिसका उद्देश्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग का संवर्धन करना है। इस संबंध में विधि साहित्य प्रकाशन हिन्दी में विधि साहित्य के विभिन्न प्रकाशन निकालता है। हिन्दी में उपलब्ध विधि साहित्य के व्यापक प्रचार एवं विक्रय हेतु यह विभिन्न राज्यों में प्रर्दशनियां भी लगाता है।

2. संगठनात्मक गठन

विधायी विभाग के संगठनात्मक गठन में सचिव, अफर सचिव, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, अपर विधायी परामर्शी, उप विधायी परामर्शी सहायक विधायी परामर्शी तथा अन्य सहायक स्टाफ सम्मिलित हैं। प्रमुख विधानों के संबंध में विधायी प्रारूपण और अधीनस्थ विधान की संवीक्षा और विधीक्षा से संबंधित कार्य विभिन्न विधायी समूहों में वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विधायी समूह का प्रधान एक संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी अथवा अपर सचिव होता है जिसकी सहायता विभिन्न स्तरों पर अनेक विधायी परामर्शी करते हैं। विधायी विभाग के सचिव मुख्य संसदीय परामर्शी के रूप में कार्य करते हैं तथा अपर सचिव सभी अधीनस्थ विधानों के प्रभारी हैं। विधायी विभाग का संगठनात्मक चार्ट **उपाबंध–IX** पर है।

3. विधायन

विधायन, सरकार की नीति को स्पष्ट करने का एक मुख्य साधन है। इस संदर्भ में विधायी विभाग उन उद्देश्यों को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाता है, जिन्हें सरकार विभिन्न विधानों के माध्यम से सुनिश्चित करना चाहती है।

(2) विधायी विभाग न केवल प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों द्वारा आरंभ किए गए विधानों के प्रारूपण के लिए सेवाकारी विभाग के रूप में कार्य करता है अपितु यह उन विषयों की बाबत, जिनसे वह प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, विधान भी बनाता है।

(3) विधायी विभाग प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक का प्रारूपण करता है। विधायी विभाग द्वारा यह कार्रवाई वित्त मंत्रालय द्वारा इसके समक्ष लाए गए बजट प्रस्तावों पर की जाती है। सुविधा की दृष्टि से, विभिन्न विषय, जिन पर प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के आदेश पर विधायी विभाग में विधेयकों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं, को व्यापक रूप से रूप से निम्नलिखित प्रवर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है:–

(क) सांविधानिक संशोधन ;

(ख) आार्थिक और कारपोरेट विधियां ;

(ग) सिविल प्रक्रिया और अन्य सामाजिक कल्याणकारी विधान ;

(घ) निरर्थक विधियों का निरसन; और

(ङ) प्रकीर्ण विधियां।

4. 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान, इस विभाग ने संसद के सदनों में पुरःस्थापन के लिए विधेयकों के प्रारूपण के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से मंत्रिमंडल के लिए विधायी प्रस्तावों वाले 112 टिप्पणों की परीक्षा की। इस अवधि के दौरान कुल 42 विधेयक पुरःस्थापन के लिए संसद के सदनों को अग्रेषित किए गए। इस अवधि के दौरान संसद को अग्रेषित किए गए विधेयकों की सूची निम्नलिखित अनुसार है : –

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम
1.	निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2016
2.	संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016
3.	वित्त विधेयक, 2016
4.	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) विधेयक, 2016
5.	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण), 2016
6.	विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, 2016
7.	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र विधेयक, 2016
8.	विनियोग (रेलवे) विधेयक, 2016
9.	विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016
10.	विनियोग विधेयक, 2016
11.	सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2016
12.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016
13.	कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016
14.	विनियोग (सं. 2) विधेयक, 2016
15.	विनियोग (रेल) सं. 2 विधेयक, 2016
16.	उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2016
17.	प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016
18.	तकनीकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
19.	भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2016
20.	दंत–चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2016
21.	राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसाधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2016
22.	उच्च न्यायालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2016
23.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016
24.	लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2016
25.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2016
26.	विनियोग (सं.3) विधेयक, 2016
27.	कर्मचारी प्रतिकार (संशोधन) विधेयक, 2016
28.	केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016
29.	मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2016
30.	प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016
31.	कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2016
32.	कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2016
33.	सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016
34.	नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016
35.	कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016
36.	राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016

37.	विनियोग (सं. 4) विधेयक, 2016
38.	विनियोग (सं. 5) विधेयक, 2016
39.	संविधान (अनुसूचित जातियां और जनजातियां) विधेयक, 2016
40.	वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016
41.	मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016
42.	महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016

5. 01.01.2016 से 31.12.2016 तक की अवधि के दौरान पुरःस्थापित किए गए और संसद के समक्ष लंबित विधेयकों में से एक संविधान संशोधन अधिनियम सहित 52 विधेयक अधिनियमों अधिनियमित अधिनियमित किए गए हैं जोकि निम्नानुसार है :

अधिनियम संख्या	**संक्षिप्त नाम**
1.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का 1)
2.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2)
3.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 3)
4.	वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रयाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 (2016 का 4)
5.	परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 5)
6.	बोनस संदाय अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 6)
7.	विनियोग (सं. 4) अधिनियम, 2015 (2016 का 7)
8.	विनियोग (सं. 5) अधिनियम, 2015 (2016 का 8)
9.	चीनी उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 9)
10.	निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 10)
11.	भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)
12.	विमानवहन (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 12)
13.	उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 13)
14.	विनियोग (रेलवे) लेखानुदान अधिनियम, 2016 (2016 का 14)
15.	विनियोग (रेलवे) अधिनियम, 2016 (2016 का 15)
16.	भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16)
17.	राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 का 17)
18.	आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18)
19.	विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 19)
20.	विनियोग अधिनियम, 2016 (2016 का 20)
21.	सिख गुरूद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 21)

22.	विनियोग अधिनियम (निरसन), 2016 (2016 का 22)
23.	निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 23)
24.	संविधान (अनूसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 24)
25.	खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 25)
26.	विनियोग (रेलवे) सं. 2 अधिनियम, 2016 (2016 का 26)
27.	उद्योग (विकास और विनियमन), अधिनियम, 2016 (2016 का 27)
28.	वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28)
29.	विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 2016 का 28)
30.	यान–हरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 30)
31.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31)
32.	डॉ राजेन्द्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (2016 का 32)
33.	उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 33)
34.	भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 34)
35.	बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 35)
36.	प्रादेशिक बायोटेक्नोलॉजी केंद्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36)
37.	लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 37)
38.	प्रतिकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38)
39.	भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 39)
40.	दंत–चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 40)
41.	तकनीकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 41)
42.	राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 42)
43.	बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 2016 (2016 का 43)
44.	प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 44)
45.	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, (2016 का 46)
46.	विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2016 (2016 का 46)
47.	कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 47)
48.	कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 48)
49.	निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)
50.	विनियोग (सं. 4) अधिनियम, 2016 (2016 का 50)
51.	विनियोग (सं. 5) अधिनियम, 2016 (2016 का 51)

6. संविधान संशोधन अधिनियम

1.	संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 (माल और सेवा कर)

7. अध्यादेश

विधायी विभाग ने दस अध्यादेशों का प्रारूपण तैयार किया जो 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान प्रख्यापित किए गए थे, अर्थात् :–

संख्या	संक्षिप्त शीर्षक
1.	शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (2016 का 1)
2.	उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016 (2016 का 2)
3.	शत्रु संपति (संशोधन और विधिमान्यकरण) द्वितीय अध्यादेश, 2016 (2016 का 3)
4.	भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का 4)
5.	दंतचिकित्सक अध्यादेश, 2016 (2016 का 5)
6.	शत्रु संपति (संशोधन और विधिमान्यकरण) तृतीय अध्यादेश, 2016 (2016 का 6)
7.	शत्रु संपति (संशोधन और विधिमान्यकरण) चौथा अध्यादेश, 2016 (2016 का 7)
8.	शत्रु संपति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 (2016 का 8)
9.	मजदूरी संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का 9)
10.	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अध्यादेश, 2016 (2016 का 10)

8. विनियम

संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन एक विनियम जारी किया गया।

	संक्षिप्त नाम
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संरचना विनियम, 2016 (2016 का 1)

9. संवैधानिक आदेशः संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन एक संवैधानिक आदेश जारी किया गया।

	संक्षिप्त नाम
1.	संविधान (पुडुचेरी) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 2016

10. अधीनस्थ विधान

1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान इस विभाग द्वारा 3996 कानूनी नियमों, विनियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं की संवीक्षा और विधीक्षा की गई है।

11. अप्रचलित विधियों का निरसन

(i) विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2016 (2016 का 22) को 756 विनियोग अधिनियमों के निरसन हेतु अधिनियमित किया गया।

(ii) निरसन और संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 23) को 294 अधिनियमों के निरसन हेतु अधिनियमित किया गया।

मंत्रिमण्डल ने भी निरसन हेतु चिन्हित शेष 422 अधिनियमों में से 105 अप्रचलित अधिनियमों के निरसन के लिए अनुमति दी है।

12. निर्वाचन आयोग के कार्य

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत का संविधान, निर्वाचन विधियों एवं तंत्र के सिद्धांतों के अनुसार नियमित अंतराल पर निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। संसद, राज्य विधान मंडलों तथा भारत के राष्ट्रपति तथा उप–राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन कराने की पूरी प्रक्रिया का संचालन, निर्देशन तथा नियंत्रण संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।

(2) निर्वाचन आयोग एक स्थायी सांविधानिक निकाय है। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में केवल, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में यहां एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं। पहली बार, दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुति 16 अक्टूबर, 1989 को की गयी थी लेकिन उनका कार्यकाल संक्षिप्त – 01 जनवरी, 1990 तक रहा। बाद में, 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। तब से बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रचलन में है।

(3) मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों (सेवा–शर्तें) अधिनियम, 1991 (1991 का 11) के अनुसार उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 65 व्यर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, है। उनकी हैसियत व वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर होते हैं। उन्हें पद से हटाना भी केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति और उन्हीं आधारों पर संभव है।

(4) राजनीतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ए के अनुसार निर्वाचन आयोग में पंजीकृत किया जाता है। आवधिक अंतरालों पर संगठनात्मक चुनाव कराने पर बल देकर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों में आंतरिक दल लोकतंत्र सुनिश्चित करता है। निर्वाचन आयोग के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार आम चुनावों में उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(5) संसद तथा राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन सुचारू रूप से कराने के लिए निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय है। विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है तथा इसे निर्वाचन आयोग के लिए भारत सरकार की स्वीकृतियां जारी करने का कार्य सौंपा गया है।

(6) इसके अतिरिक्त वर्ष 1950 में निर्वाचन व्यय के मामले में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के साथ

परामर्श करके यह निर्णय लिया गया था कि विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन नामावलियां तैयार करने में होने वाला व्यय केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। और, लोक सभा तथा राज्य विधान सभा निर्वाचन कराने का व्यय क्रमशः केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यदि लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन साथ–साथ होते हैं तो व्यय केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। इस संबंध में प्रक्रिया यह है कि प्रारंभिक व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है तथा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर भारत सरकार के भाग का पुर्नभुगतान संबंधित राज्य सरकारों को कर दिया जाता है।

13. निर्वाचन विधि और निर्वाचन संबंधी सुधार

विधायी विभाग, संसद, राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन कराने और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के संचालन से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों से प्रशासनिक रूप से संबद्ध हैः–

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

(iii) राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(iv) परिसीमन अधिनियम, 2002

(v) आंध्र प्रदेश विधान परिसद अधिनियम, 2005

(vi) तमिलनाडु विधान परिसद अधिनियम, 2010

(2) हमारे देश का निर्वाचक तंत्र, जिसे चुनावों का सर्वाधिक मत निर्णायक प्रणाली (फस्ट पास्ट दी पोस्ट) वाला भी कहा जाता है ने सड़सठ वर्ष पूरे कर लिए हैं। हमने सड़सठ वर्षों की इस यात्रा को अत्यंत गौरव एवं सभी क्षेत्रों में अपार सफलता के साथ पूरा किया है। यह लाखों लोगों के निरंतर कठिन परिश्रम तथा निरन्तर संघर्ष का परिणाम है, जिन्होनें इस देश के वर्तमान तथा भविष्य को अपने खून–पसीने से संवारा है। निःसंदेह यह यात्रा इतनी सुगम नहीं थी तथा हमने इस अवधि में काफी अस्तव्यस्ता एवं हलचल देखी है। इस अवधि में हमारे देश का राजनीतिक परिदृश्य तथा निवार्चन प्रक्रिया, युगान्तरकारी बदलावों से गुजरे हैं। प्रत्येक चुनाव के साथ निर्वाचन प्रक्रिया तथा चुनाव प्रबंधन की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय राज्यतंत्र, गठबंधन राजनीति के दौर से गुजर रहा है, जिससे विधायी निकायों की प्रत्येक सीट अत्यधिक मूल्यवान हो गई है। ऐसे परिवेश में आरोप–प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कुछ बेईमान और आपराधिक तत्वों के कारण निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।

(3) निरंतर बदलते परिवेश में, अनेक बार निर्वाचन विधि में सुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई है। चुनावों से प्राप्त अनुभवों, चुनाव आयोग की सिफारिशों, राजनीतिक पार्टियों सहित विभिन्न स्रोतों तथा सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रस्तावों द्वारा तथा विधान मंडलों एवं विभिन्न सार्वजनिक निकायों के विचार–विमर्श से उत्तरोत्तर सरकारों ने समय–समय पर निर्वाचन संबंधी सुधार हेतु अनेक कदम उठाए हैं, फिर भी निर्वाचन संबंधी सुधारों हेतु एक व्यापक पैकेज को लागू करने की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता।

(4) मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में दिनांक 16 सितंबर, 2016 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था। संशोधन का उद्देश्य मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के साथ संलग्न फार्म सं. 6, 6ए, 7, 8, 8ए, 18 तथा 19 और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के साथ संलग्न फार्म सं. 2ए, 2बी, 2सी, 2डी, 2ई, 2एफ, 2जी तथा 2एच को सरल बनाने तथा प्रयोक्ता अनुकूल बनाना है। निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पोस्टल बैलेट के संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए 21 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में आगे भी संशोधन किया गया था।

(5) पूर्व की विभिन्न समितियों की रिपोर्टो, निर्वाचन आयोग तथा अन्य हितधारकों के तर्को को ध्यान में रखते हुए और विधि में अविलम्ब परिवर्तन करने के लिए, प्राथमिक रूप से तीन माह की अवधि के भीतर, व्यापक उपाय सुझाने हेतु 16 जनवरी, 2013 को माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने निर्वाचन संबंधी सुधारों का मामला विचार करने हेतु पूर्ण रूप से विधि आयोग को सौंप दिया। इन सभी बातों पर विचार किए जाने के पश्चात् भारत के विधि आयोग ने 2015 में 'निर्वाचन सुधारों' पर अपनी 255वीं रिपोर्ट पेश की। विधायी विभाग ने 'निर्वाचन सुधारों' पर 244वीं तथा 255वीं रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया।

टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट कुछ सुझावों के साथ प्रस्तुत की है। वर्तमान में, विधि आयोग की 244वीं तथा 255वीं रिपोर्ट उसे लागू करने के लिए विचाारधीन है।

14. इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.एम.)

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई.वी.ऋम.), बैलेट बॉक्स का प्रतिस्थापन निर्वाचन प्रक्रिया का मुख्य आधार है। पहली बार वर्ष 1977 में निर्वाचन आयोग द्वारा कल्पना की गई, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद (ईसीआईएल) को इसे डिजाइन तथा विकसित करने का कार्य सौंपा गया। वर्ष 1979 एक प्रोटोटाइप तैयार किया गया, जिसका प्रदर्शन निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष किया गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूर

(बीईएल), एक अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, को, ईवीएम की शुरूआत पर आम सहमति बनने के पश्चात ईसीआईएल के साथ संयुक्त रूप से ईवीएम के निर्माण के लिए चुना गया।

(2) ईवीएम का पहली बार प्रयोग केरल में मई, 1982 के उप चुनावों में हुआ था, हालांकि, इसके प्रयोग संबंधी कोई विधि विशेष न होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने यह चुनाव खारिज कर दिए थे। तत्पश्चात्, वर्ष 1989 में संसद ने चुनावों में ईवीएम के प्रयोग के लिए प्रावधान बनाने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किए थे। इसकी शुरूआत से संबंधित आम सहमति 1998 में ही बनी तथा तीन राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के 25 विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रयोग हुआ। वर्ष 1999 में इसका प्रयोग बढ़ाकर 45 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तथा इसके पश्चात, फरवरी, 2000 में हरियाणा विधानसभा चुनावों में 45 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों किया गया। मई, 2001 में राज्य विधानसभा चुनावों में तमिलनाडू, केरल, पांडिचेरी तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में ईवीएम का प्रयोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया। तब से, सभी राज्य विधानसभा के लिए आयोग ने ईवीएम का प्रयोग किया है। वर्ष 2004 में, लोक सभा के आम चुनावों में देश के 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम (दस लाख से अधिक) का प्रयोग किया गया।

(3) ईवीएम में दो इकाईयां होती हैं– कंट्रोल यूनिट (सी यू) तथा बैलट यूनिट (बी यू) जिसमें एक केबल (5 मी. लंबी) होती है जो दोनों को आपस में जोड़ती है। एक बैलट यूनिट में लगभग 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। ईवीएम के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं। इसे समय–समय पर विकसित किया गया है तथा अब यह और अच्छी स्थिति में आ गई है। पूर्व 2006 तथा उत्तर 2006 की की ईवीएम के मामले में 4 (चार) बैलट यूनिटों को एक साथ जो) कर अधिकतम 64 उम्मीदवारों (नोटा सहित) के नाम दर्ज किए जा सकते थे, जिसके लिए एक कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जा सकता था। उत्तर 2006 की उन्नत ईवीएम के मामले में 24 (चौबीस) बैलट यूनिटों को एक साथ जो) कर 384 उम्मीदवारों (नोटा सहित) के नाम दर्ज किए जा सकते हैं, जिसके लिए एक कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जा सकता है। यह 7.5 वोल्ट की पावर पैक बैटरी पर चलती है। उत्तर 2006 की उन्नत ईवीएम के मामले में, एक कंट्रोल यूनिट के साथ 4 से अधिक बैलट यूनिट जोड़ने की स्थिति में पावर पैक 5वीं, 9वीं, 13वीं, 17वीं तथा 21वीं बैलट यूनिट में लगाया जाता है। दृष्टिहीन मतदाताओं के मार्गदर्शन हेतु उम्मीदवारों के मतदान बटन के साथ बैलट यूनिट की दायीं ओर ब्रेल संकेतक में 1 से लेकर 16 तक के अंक उभरे होते हैं। तदोपरांत, मतदान के अनुभव को नई उंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनिंदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम में मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) लागू किया है।

(4) चुनावों में ईवीएम के डिजाइन तथा प्रयोग को वैश्विक लोकतंत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि माना जाता है। इससे प्रणाली में अधिक पारदार्शिता, तेजी तथा ग्राहयता आयेगी। इससे ईवीएम के प्रयोग में

प्रवीण निर्वाचन अधिकारियों का व्यापक दल तैयार करने में भी सहायता मिली है। इसके विकास क्रम में आयोग ने निर्देशों की श्रृंखला, अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न तथा तकनीकी दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान, अनेक न्यायिक निर्णयों से भी ईवीएम को हमारी निर्वाचन प्रणाली का अभिन्न अंग बनाने में सहायता मिली है।

15. ईवीएम का विस्तार तथा निपटान–तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन

ईसीआई–ईवीएम का अनुमोदन 1990 में निर्वाचन सुधारों फर गोस्वामी समिति की पहल पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक तकनीकी विशेषज्ञ उपसमिति द्वारा किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता प्रो.एस.सम्पत, तत्कालीन अध्यक्ष आर.ए.सी., रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अन्य सदस्यों, प्रो. पी.वी.इंदीरसेन, जोकि तब दिल्ली आई.आई.टी. में थे तथा डॉ सी.राव कसारबाडा, तत्कालीन निदेशक, इलक्ट्रॉनिकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र, त्रिवेंद्रम के साथ की थी। इसके बाद से आयोग ईवीएम से संबंधित सभी तकनीकी मामलों फर तकनीकी विशेषज्ञों के दल जिसमें आई. आई.टी., दिल्ली के प्रो. पी.वी.इंदीरसेन (पिछली समिति के सदस्य), प्रो.डी.टी.शहानी तथा प्रो.ए.के. अग्रवाल शामिल हैं, से विमर्श करता है। नवंबर, 2010 में, आयोग ने दो अन्य विशेषज्ञ जिनके नाम इलेक्ट्रिक इंजीनियारिंग, मुम्बई आई.आई.टी के प्रो.डी.के.शर्मा तथा कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, कानपुर आई.आई.टी. के प्रो.रजत मूना (अब प्रमुख निदेशक, सी–डेक) को शामिल करके अपनी तकनीकी विशेषज्ञ समिति का विस्तार किया है। वर्ष 2013 में प्रो. इंदीरसेन के निधन के पश्चात, समिति की अध्यक्षता प्रो. डी.टी. शहानी द्वारा की जा रही है।

(2) ईवीएम के उन्नयन तथा निपटान संबंधी सभी मामलों में तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) से परामर्श किया जाता है। तत्पश्चात, इस मामले में कोई भी निर्णय लिया जाता है। वर्तमान समय में आयोग में प्रयोग हेतु ईवीएम के तीन प्रकार उपलब्ध हैं– पूर्व 2006, उत्तर 2006। उन्नत उत्तर 2006 (उत्तर 2013) ईवीएम का प्रयोग लोक सभा, 2014 के आम चुनाव में किया गया था।

(3) वर्ष 1989–90 में बनाए गए ईवीएम इसके निर्माता की सलाह के अनुसार नष्ट किए जा रहे हैं, ईवीएम का जीवनकाल 15 वर्ष का होता है तथा 15 वर्ष से पुरानी ईवीएम का प्रयोग करना जोखिमपूर्ण है और वर्ष 2000–2005 में बनाए गए ईवीएम के निपटान के लिए बनाई गई एक चरणबद्ध योजना के संबंध में विधि एवं न्याय मंत्रालय को सूचित किया गया है।

(4) अभी तक ईवीएम का जो प्रापण किया गया है, उसका ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	बैलेट यूनिट की कुल सं.	कंट्रोल यूनिट की कुल सं.	कुल धनराशि प्रदत्त/स्वीकृत (रुपयों में)	कुल धनराशि प्रदत्त/स्वीकृत (करोड रुपयों में)
1.	2000–2001	142631	142631	1499880443	149.99
2.	2001–2002	135481	135481	1422900000	142.29
3.	2002–2003	190592	190592	2006100000	200.61
4.	2003–2004	336045	336045	3530000000	353.00
5.	2004–2005	125681	125681	1315400000	131.54
6.	2006–2007	250000	250000	2893742332	289.38
7.	2008–2009	180000	180000	1900000000	190.00
8.	2009–2010	127000	100000	1150000000	115.00
9.	2013–14	382876	251650	2159435745	215.94
	योग	**1870306**	**1712080**	**17877458520**	**1787.75**

(5) तीन वित्तीय वर्षों में, ईवीएम के प्रापण के लिए हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है जोकि निम्नानुसार है:–

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	बैलेट यूनिट	कंट्रोल यूनिट
1.	2016–17	5,50,000	5,45,000
2.	2017–18	4,10,000	3,14,000
3.	2018–19	4,35,306	71,716
	कुल	**13,95,306**	**9,30,716**

16. मतदान फोटो पहचान–पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति (ई पी आई सी)

निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता फोटो फहचान–पत्रों का उपयोग धीरे–धीरे और निश्चित रूप से निर्वाचन प्रक्रिया को सरल, सहज और तीव्र बना रहा है। निर्वाचन आयोग ने 1993 में निर्वाचनों में जाली मतदान और निर्वाचनों में मतदाताओं के प्रतिरूपण को रोकने के लिए पूरे देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने का विनिश्चय किया था। निर्वाचक नामावली, रजिस्ट्रीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का आधार है। निर्वाचक नामावलियों को सम्मिलित प्रत्येक वर्ष अर्हक तारीख के रूप में 1 जनवरी को पुनरीक्षित किया जाता है। ऐसे सभी व्यक्ति, जो उस तारीख को 18 वर्ष या अधिक की आयु प्राप्त कर चुके हैं, निर्वाचक नामावली में साम्मिलित किए जाने के पात्र हैं और उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक बार नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने पर, वे मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्राप्त करने के हकदार हो जाएंगे। अतः मतदाता पोटो पहचान–पत्र जारी करने की स्कीम एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके पूरा होने के लिए कोई समय–सीमा नियत नहीं की जा सकती, क्योंकि और अधिक संख्या

में व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार के लिए पात्र हो जाने के कारण निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (नामांकन फाइल करने और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने की अंतिम तारीख के बीच की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर) एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही आयोग का निरंतर यह प्रयास रहा है कि ऐसे निर्वाचकों को, जो पूर्व के अभियानों में छूट गए हैं उन्हें और नए निर्वाचकों को मतदाता फोटो पहचान–पत्र प्रदान किए जाएं। निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचकों को फोटो पहचान–पत्र जारी किए जाने की स्कीम के कार्यान्वयन का संपूर्ण भारसाधक है, नियमित रूप से उसकी प्रगति की मॉनिटारिंग करता है।

(2) निर्वाचन आयोग का प्रयास यह है कि जहां तक व्यवहार्य हो, मतदाता फोटो पहचान–पत्र योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य समयबद्व तरीके से प्राप्त किया जाए। मतदाता फोटो पहचान–पत्र को जारी करने के लिए आयोग ने कोई नियत समय सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि उन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द मतदाता फोटो पहचान–पत्र जारी करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है जो निर्वाचक नामावली में पहले ही नामांकित हैं, इनमें से कुछ प्रयास निम्नानुसार हैं –

(i) सभी मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए विशेष फोटोग्राफी अभियान चलाये जाते हैं।

(ii) मतदाता डाटाबेस में मतदाताओं की फोटो उपलब्ध न होने की स्थिति में समय–समय पर विशेष अभियान चला कर फोटो एकत्र की/ली जाती हैं।

(iii) सभी मतदाताओं की फोटो एकत्र करने तथा मतदाता फोटो पहचान–पत्र बनाने के लिए आयोग द्वारा बूथ लेवल अफसरों की नियुक्ति की गई है ।

(iv) बिना रूकावट नामांकन करने तथा सभी नए रजिस्टर्ड मतदाताओं को ईपीआईसी जारी करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया गया है।

(3) इस संबंध में देश में मतदाताओं को फोटो पहचान–पत्र जारी करने की प्रगति दर्शाने वाला विवरण आयोग में उपलब्ध अद्यतित डाटा (2016) के अनुसार निम्नानुसार है।

क्रम सं0	राज्य का नाम	ईपीआईसी%
रा 01	आन्ध्र प्रदेश	100.00
रा 02	अरूणाचल प्रदेश	99.55
रा 03	असम	93.85
रा 04	बिहार	100.00
रा 05	गोवा	99.55
रा 06	गुजरात	99.99
रा 07	हरियाणा	100.00
रा 08	हिमाचल प्रदेश	100.00

रा 09	जम्मू और कश्मीर	89.49
रा 10	कर्नाटक	99.43
रा 11	केरल	100.00
रा 12	मध्य प्रदेश	100.00
रा 13	महाराष्ट्र	95.18
रा 14	मणिपुर	100.00
रा 15	मेघालय	100.00
रा 16	मिजोरम	100.00
रा 17	नागालैण्ड	98.06
रा 18	उड़ीसा	97.96
रा 19	पंजाब	98.57
रा 20	राजस्थान	99.60
रा 21	सिक्किम	100.00
रा 22	तमिलनाडु	100.00
रा 23	त्रिपुरा	100.00
रा 24	उत्तर प्रदेश	99.70
रा 25	पश्चिम बंगाल	100.00
रा 26	छत्तीसगढ़	97.57
रा 27	झारखण्ड	99.92
रा 28	उत्तराखण्ड	100.00
रा 29	तेलंगाना	100.00
सं 01	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	98.97
सं 02	चण्डीगढ़	99.98
सं 03	दादरा एवं नागर हवेली	100.00
सं 04	दमन एवं दीव	97.91
सं 05	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	100.00
सं 06	लक्षदीप	100.00
सं 07	पुडुचेरी	99.99
	समस्त भारत	**99.04**

17. मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी):

4 अक्तूबर, 2010 को हुई सभी राजनीतिक दलों की बैठक में दलों ने ईवीएम से संतुष्टि जाहिर की परंतु कुछ दलों ने आयोग से मतदान प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और सत्यापनीयता के लिए मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) की शुरूआत करने पर विचार करने का अनुरोध

किया। आयोग ने इस संबंध में जांच करने तथा संस्तुति देने के लिए ईवीएम संबंधी तकनीकी विषेशज्ञ समिति से मामले का उल्लेख किया। विषेषज्ञ समिति ने इस विशय पर ईवीएम के निर्माताओं, बीईएल और ईसीआईएल के साथ कई बैठकें कीं तथा उसके पश्चात उन्होंने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी प्रणाली के डिज़ाइन संबंधी आवश्कताओं का पता लगाने के लिए राजनीतिक दलों और अन्य सामाजिक सदस्यों से मुलाकात की। निर्वाचन आयोग ने 26 दिसंबर, 2016 के पत्र द्वारा सूचित किया कि विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात, निर्वाचन आयोग ने वीवीपीएटी के निर्माण के लिए बीईएल और ईसीआईएल के अतिरिक्त दो अन्य के.सा.क्षे.उ., आई.टी.आई. लिमिटेड, बंगलौर तथा सी.ई.एल., गाजियाबाद का चुनाव किया है।

(2) भारत सरकार ने 14 अगस्त, 2013 को संशोधित निर्वाचनों का संचालन नियमावली, 1961 को अधिसूचित किया जिसमें आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपीएटी के प्रयोग का अधिकार दिया गया। आयोग ने ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का प्रयोग सर्वप्रथम नागालैण्ड के 51–नोकसेन (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप–चुनावों में किया। तत्पश्चात, वीवीपीएटी का प्रयोग विधानसभा के सभी चुनावों में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों तथा लोक सभा, 2014 के आम चुनावों में 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया।

(3) हाल ही में, आयोग ने 67,000 वीवीएीएटी की आपूर्ति के लिए निर्माताओं, मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बंगलौर तथा मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद को ऑडर दिया है।

18. वीवीपीएटी के तथ्य

वीवीपीएटी एक स्वतंत्र यंत्र है जो कि इलेक्ट्रॅनिक वोटिंग मशीन के साथ लगा होता है जिससे मतदाता जांच सकता है कि मत उनके द्वारा चुने गए प्रत्याशी को ही गया है। जब मत डाला जाएगा, प्रिंटर द्वारा उम्मीदवार की क्रम संख्या, उम्मीदवार के नाम तथा उम्मीदवार के चुनाव चिह्न को दर्शाते हुए एक स्लिप मुद्रित होगी तथा 7 सेकंड के लिए पारदर्शी विंडो में दिखाई देगी। इसके पश्चात यह प्रिंटिड स्लिप अपने आप कट जाएगी तथा वीवीपीएटी के ड्रॉप बाक्स में गिर जाएगी।

(2) वीवीपीएटी में एक प्रिंटर तथा एक वीवीपीएटी स्टेटस डिस्प्ले यूनिट (वीएसडीयू) होता है। वीवीपीएटी 15 वोल्ट के एक पावर पैक (बैटरी) पर चलता है। कंट्रोल यूनिट और वीएसडीयू प्रिसाइडिंग ऑफिसर/पोलिंग आफिसर के पास होती है तथा बैलट यूनिट और प्रिंटर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखे जाते हैं।

(3) वीवीपीएटी अभी तक निम्नलिखित चुनावों में प्रयुक्त हुई हैं।

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
2013 में नागालैंड विधानसभा क्षेत्र, उपचुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
1	नागालैंड	51–नोकसेन (एसटी) एसी (उपचुनाव)	21	4/9/2013	बीईएल और ईसीआईएल
2013 में मिजोरम विधानसभा क्षेत्र, उपचुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभी निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
2	मिजोरम	1. 10–आइजोल नार्थ–I (एसटी) 2. 11–आइजोल नार्थ–II (एसटी) 3. 12–आइजोल नार्थ–III (एसटी) 4. 13–आइजोल इर्स्ट–I 5. 14–आइजोल इर्स्ट–II (एसटी) 6. 15–आइजोल वेस्ट–II (एसटी) 7. 16–आइजोल वेस्ट–II (एसटी) 8. 17–आइजोल वेस्ट–III (एसटी) 9. 18–आइजोल साउथ–I (एसटी) 10. 19–आइजोल साउथ–II (एसटी)		25/11/2013	ईसीआईएल
क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र, 2013 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	51–नोकसेन (एसटी) एसी (उपचुनाव)		4/12/2013	बीईएल
लोकसभा, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
4	मिजोरम	1–मिजोरम पीसी के 385 पोलिंग स्टेशन	385	11/4/2014	बीईएल
5	बिहार	30–पटना साहिब पीसी	1746	17/4/2014	बीईएल

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
6	कर्नाटक	26–बंगलौर पीसी	1926	17/4/2014	बीईएल
7	छत्तीसगढ़	8–रायपुर पीसी	2204	24/4/2014	ईसीआईएल
8	तमिलनाडु	4–चेन्नई सेंट्रल पीसी	1153	24/4/2014	बीईएल
9	गुजरात	6–गांधीनगर पीसी	1770	30/4/2014	बीईएल
10	उत्तर प्रदेश	35–लखनऊ पीसी	1728	30/4/2014	ईसीआईएल
11	पश्चिम बंगाल	22–जादवपुर पीसी	1959	12/5/2014	ईसीआईएल
महाराष्ट्र विधानसभी क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान सितंबर–अक्तूबर, 2014 में निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
12	महाराष्ट्र	38– अमरावती एसी	245	15/10/2014	ईसीआईएल
		42– अचलापुर एसी	290		
		47– वर्धा एसी	332		
		61– भंडारा (एससी)	429		
		71– चंद्रपुर (एससी)	336		
		78– यवतमाल	387		
		107– औरंगाबाद सेंट्रल	258		
		108– औरंगाबाद वेस्ट (एससी)	274		
		109– औरंगाबाद ईस्ट	250		
		123– नासिक ईस्ट	313		
		124– नासिक सेंट्रल	279		
		125– नासिक वेस्ट	290		
		225– अहमद नगर सिटी	259		
हरियाणा विधानसभा क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
13	हरियाणा	13–थानेदार एसी	161	15/10/2014	बीईएल
		21–करनाल एसी	170		
		25–पानीपत सिटी एसी	168		
		31–सोनीपत एसी	144		
		62–रोहतक एसी	145		
		77–गुड़गांव एसी	171		

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
झारखण्ड विधानसभा क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
14	झारखण्ड	36– बोकारो एसी	566	14/12/2014	बीईएल
		40– धनबाद एसी	424	14/12/2014	
		48– जमशेदपुर ईस्ट एसी	262	2/12/2014	
		49– जमशेदपुर वेस्ट एसी	290	2/12/2014	
		63– रांची एसी	364	9/12/2014	
		64– हटिया एसी	434	9/12/2014	
		65– कारके (एससी) एसी	388	9/12/2014	
जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा क्षेत्र, 2014 के आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
15	जम्मू एवं कश्मीर	71– गांधी नगर	172	20/12/2014	बीईएल
		72– जम्मू ईस्ट	82		
		73– जम्मू वेस्ट	171		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, 2015 के आम चुनावों के दौरान जनवरी–फरवरी में निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
16	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	38– दिल्ली कैंट	150	7/2/2015	बीईएल
		40– नई दिल्ली	220		
2015 के बिहार विधानसभा क्षेत्र, आम चुनावों के दौरान अक्तूबर–नवंबर, 2015 में निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
17	बिहार	183– कुम्हरार	355		ईसीआईएल
		182– बांकीपुर	330		
		181– दीघा	383		
		230– गया शहर	227		
		94– मुजफ्फरपुर	275		
		83– दरभंगा	258		
		194– आरा	261		
		172– बिहारशरीफ	331		
		118– छपरा	274		
		105– सिवान	263		

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
		156– भागलपुर	301		
		63– कटिहार	228		
		62– पूर्णिया	258		
		165–मुंगेर	284		
		75– सहरसा	312		
		208– सासाराम	315		
		146– बेगुसराय	264		
		223– औरंगाबाद	273		
		200– बक्सर	256		
		54– किशनगंज	238		
		216– जहानाबाद	286		
		237– नवादा	303		
		28– सीतामढ़ी	244		
		133– समस्तीपुर	227		
		48– फारबिसगंज	279		
		241– जमूल	259		
		36– मधुबनी	281		
		149– खगरिया	210		
		101– गोपालगंज	285		
		43– सुपौल	240		
		73– मधेपुरा	272		
		161– बांका	238		
		205– भभुआ	257		
		19– मोतीहारी	256		
		132– हाजीपुर	277		
		8– बेतिया	213		
पश्चिम बंगाल विधानसभा क्षेत्र, 2015 के उपचुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
18	पश्चिम बंगाल	4–कूचबिहार दक्षिण	253	मार्च–मई 2016	ईसीआईएल
		12–अलीपुरद्वार	273		
		17–जलपाइगुड़ी (एससी)	280		
		26–सिलीगुड़ी	238		
		35–रायगंज	194		
		39–बालूरघाट	188		
		64–मुर्शिदाबाद	272		
		कृष्णानगर	268		
		119–बारासात	283		

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
		150—जादवपुर	340		
		161—बालीगंज	291		
		162—चौरंगी	222		
		171—हावड़ा मध्य	308		
		189—चंदन नगर	258		
		203—तमलुक	287		
		236—मिदनापुर	296		
		242—पुरूलिया	266		
		252—बंकुड़ा	303		
		260—बर्धमान दक्षिण	294		
		154—बेहेला पश्चिम	341		
		285—सूरी	287		
केरल विधानसभा क्षेत्र, 2016 के मार्च—मई में हुए आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
19	केरल	133—बट्टीयारकावु	141	मार्च—मई	ईसीआईएल
		135—नेमम	148		
		124—कोल्लम	154		
		104—एलप्पुजा	153		
		97—कोट्टयम	158		
		82—एरनाकुलम	122		
		83—तृकाक्करा	147		
		67—तृस्सूर	149		
		56—पालक्काड़	140		
		40—मलाप्पुरम	154		
		27—कोझिकाड़	142		
		11—कुन्नूर (टाउन एरिया)	42		
तामिलनाडु विधानसभा क्षेत्र, 2016 के मार्च—मई में हुए आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
20	तामिलनाडू	21—अन्ना नगर	255	मार्च—मई	बीईएल
		43—वेल्लोर	244		
		53—कृष्णागिरी	294		
		89—सालेम (उत्तर)	284		
		99—इरोड़ (पश्चिम)	285		
		114—तिरूपुर (उत्तर)	327		
		118—कोयंबटूर (उत्तर)	285		

क्रम सं.	राज्य का नाम	एसी/पीसी का नाम तथा संख्या	पोलिंग स्टेशन	मतदान की तिथि	निर्माता
		132–डिंडीगुल	268		
		140–तिरुचिरापल्ली पश्चिम	271		
		155–कडलूर	228		
		37–कांचीपुरम	316		
		74–विल्लूपुरम	281		
		189–मदुरई (पूर्व)	302		
		214–तूतुकुडि	271		
		224–तिरुनिवेली	305		
		229–कन्याकुमारी	300		
पुडुचेरी विधानसभा क्षेत्र, 2016 के मार्च–मई में हुए आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
21	पुडुचेरी	15–ओप्पलम	24	मार्च–मई	बीईएल
		16–ओरलमपेट	23		
		27–कराइकल दक्षिण	27		
असम विधानसभा क्षेत्र, 2016 के मार्च–मई में हुए आम चुनावों के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
22	असम	9–सिलचर	232	मार्च–मई 2016	बीईएल
		23–डुब्री	192		
		32–बोंगाइगांव	222		
		37–गोआलपारा पूर्व	222		
		51–जलुकबाड़ी	212		
		52–डिसपुर	375		
		53–गुवाहाटी पूर्व	240		
		54–गुवाहाटी पश्चिम	285		
		73–तेजपुर	200		
		98–जोरहाट	191		
तेलंगाना विधानसभा क्षेत्र, 2016 के उपचुनाव के दौरान निम्नलिखित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वीवीपीएटी का प्रयोग किया गया					
23	तेलंगाना	113–पलाइर	243	मार्च–मई 2016	बीईएल

19. निर्वाचन विधियों को अन्तर्वलित करने वाले न्यायालय मामले

विधायी विभाग, विभिन्न निर्वाचन संबंधी विधियों का प्रशासनिक भारसाधक होने के नाते निर्वाचनों की वैधता तथा निर्वाचन विधियों संबंधी विभिन्न न्यायालय मामलों को भी देखता है। वर्ष 2016 के आरम्भ में निर्वाचन संबंधी विषयों पर उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में 235 मामले लम्बित थे। उक्त वर्ष के दौरान 17 नए मामले प्राप्त हुए थे जिनके संबंध में पैरावार

टिप्पणियां, प्रति शपथ–पत्र और समुचित अनुदेश, संबंधित सरकारी काउंसेल को सम्प्रेयित किए गए थे। वर्ष के दौरान संदर्भाधीन फाईल किए गए 17 नए मामलों में से 1 और पहले से लम्बित 6 मामलों का इस अवधि के दौरान निपटारा कर दिया गया है । इस समय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लगभग 245 मामले लम्बित हैं। सभी मामलों की प्रभावी रूप से मानिटारिंग की जा रही है।

20. संसदीय कार्य का संचालन

वर्ष 2016–17 के दौरान, विधायी विभाग, जिसे विधि एवं न्याय मंत्रालय के संसदीय कार्य के समन्वयन/संचालन का कार्य दिया गया है, ने निम्नानुसार कार्य का निपटान किया है :

क्र.सं.	कारबार की मद	विधि एवं न्याय मंत्रालय के आंकड़े
1.	लोक सभा प्रश्न	358
2.	राज्य सभा प्रश्न	121
3.	लोक सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	8
4.	राज्य सभा में प्राइवेट सदस्यों के विधेयक	6
5.	प्राइवेट सदस्यों के संकल्प	4
6.	लोक सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	–
7.	राज्य सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	1
8.	लोक सभा में अल्पावधि चर्चा	2
9.	शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले	28
10.	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	8
11.	राज्य सभा में विशेष उल्लेख	10

21. परामर्श समिति

विधि और न्याय मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की परामर्श समिति को दिनांक 3 सितम्बर, 2014 को 11 सदस्यों के साथ माननीय विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया था। वर्ष 2016 के दौरान, इस मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति की एक बैठक 5 अप्रैल, 2016 को हुई।

22. समवर्ती क्षेत्र में विधान

भारत सरकार (कार्य–आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार संविधान की सातवीं अनुसूची की (समवर्ती सूची) – सूची 3 के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित व्यायों की बाबत विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने से संबंधित कार्य इस विभाग को आबंटित किए गए हैं:–

(क) विवाह और विवाह–विच्छेदय शिशु और अप्राप्तवय; विलय निर्वसीयतता और उत्तराधिकार; अविभक्त कुटुंब और विभाजन;

(ख) कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति अंतरण (बेनामी संव्यवहारों को छोड़कर, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण);

(ग) संविदाएं, किन्तु कृषि भूमि से संबंधित संविदाओं को छोड़कर;

(घ) अनुयोज्य दोष;

(ङ) न्यास और न्यासी, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी;

(च) साक्ष्य और शपथ;

(छ) सिविल प्रक्रिया जिसमें परिसीमा और माध्यस्थम शामिल है;

(ज) पूर्त एवं धार्मिक विन्यास तथा धार्मिक संस्थान।

23. भारत के विधि आयोग की रिपोर्टें

विधायी विभाग, इस समय स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) में वार्णित अन्य विषयों पर, जिनसे यह विभाग प्रशासनिक रूप से संबद्ध है, भारत के विधि आयोग की 41 रिपोर्टों को मानीटर एवं जांच कर रहा है। आयोग की संस्तुतियों की केन्द्र सरकार के संबंघित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

24. लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति

लाभ के पद पर संसद की संयुक्त समिति, जिसका गठन प्रत्येक लोक सभा (द्वितीय लोक सभा से) के कार्यकाल के दौरान होता है, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की अनुसूची में संशोधन करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने की दृष्टि से भारत सरकार अथवा अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद, सांविधिक और गैर सांविधिक की प्रकृति, स्वरूप और संयोजन के संबंध में निरंतर समीक्षा का दायित्व का निर्वहन करती है।

(2) 14वीं लोक सभा के दौरान लाभ के पद की संवैधानिक और विधिक स्थिति का परीक्षण करने के साथ साथ संविधान के अनुच्छेदों 102 (1) (क) और 191(1)(क) के प्रयोजन से ''लाभ का पद'' अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में व्यापक परिभाषा सुझाने हेतु संसद के सदनों की एक संयुक्त समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा यथेष्ट विचार–विमर्श करने और हितधारकों एवं राज्य सरकारों से साक्ष्य जुटाने के बाद ''लाभ का पद'' अभिव्यक्ति की व्यापक परिभाषा प्रस्तुत करते हुए संविधान में संशोधन की

संस्तुति की गई है। तद्नुसार "लाभ का पद की संवैधानिक तथा विधिक स्थिति का परीक्षण करने के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई", विषय पर मंत्रिमंडल के लिए एक ड्राफ्ट नोट तथा साथ ही ''लाभ का पद'' अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए भारत का संविधान में संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट विधेयक इस विभाग में तैयार किया गया है तथा सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को उनके मत/टिप्पणी हेतु परिचालित किया गया है। कुछ मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से टिप्पणी अभी प्रतीक्षित हैं।

25. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति

व्यापार में सरलता के लिए संविदा के प्रवर्तन से संबंधित विधि को अधिक प्रभावी और व्यापार के अनुकूल बनाने हेतु, विधायी विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों की जांच करने तथा उसमें संशोधन हेतु सलाह देने के लिए 28 जनवरी, 2016 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिस पर इस विभाग में विचार किया जा रहा है।

(2) वर्तमान आवश्यकताओं के संदर्भ में, व्यापार में सरलता से जुड़े महत्व तथा व्यापार में सरलता, संविदा के प्रवर्तन, विवादों के निपटान आदि की सुगमता के लिए प्रचुर विधिक एवं नियामक सुधार किए जा रहे हैं। वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

26. स्वीय विधियों और अन्य विषयों से संबंधित याचिकाएं और अन्य न्यायालय मामलो

विधायी विभाग, स्वीय विधियों और संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची III से संबंधित मामलों, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय न्यास अधिनियम 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, विभाजन अधिनियम 1893, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, परिसीमा अधिनियम 1963 आदि के साथ लाभ का पद सहित, का प्रशासनिक प्रभारी होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विभिन्न याचिकाओं और अन्य अदालती मामले देखता है। 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के दौरान नौ नए मामले प्राप्त हुए हैं। पैरावार टिप्पणियां, प्रति शपथपत्र और उचित अनुदेश, जैसा भी मामला हो, तैयार करके सरकारी वकील को दिए गए।

27. राज्य विधायी प्रस्ताव

राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित उपरोक्त विषयों से संबंधित ऐसे विधायी प्रस्ताव जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड (2) के उपबंधों के आधार पर, राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित है, उनकी भी इस विभाग के द्वारा संवीक्षा की गई है। 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान, राज्य विधेयकों/अध्यादेशों से संबंधित अड़सठ संदर्भों का परीक्षण किया गया था।

28. विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान (आई.एल.डी.आर.)

विधायी प्रारूपण एक विशिष्ट कार्य है जिसमें प्रारूपण कौशल एवं विशेषज्ञता शामिल है। विधि प्रारूपण में ऐसे कौशल को बढ़ाने के लिए सतत एवं निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। मौजूदा उपलब्ध व्यक्तियों में विधायी प्रारूपण में योग्यता और कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण की आवश्यकता है। देश में प्रशिक्षित विधायी प्रारूपकारों की उपलब्धता में वृद्धि करने की दृष्टि से जनवरी, 1989 में विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक खंड के रूप में विधायी प्रारूपण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के आरंभ से यह संस्थान विधायी प्रारूपण में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रहा है। आई.एल.डी.आर. को क्यू.एम.एस. के संचालन के मूल्यांकन के आधार पर आईएसओ 9001:2008 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, सचिव, विधायी विभाग, आई.एल.डी. आर. की पाठ्यक्रम निदेशक हैं जो संस्थान के नियंत्रक अधिकारी के रूप में भी कार्यरत हैं। वर्ष 2016–17 में आई.एल.डी.आर. द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की गई हैं:

(i) केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों के मध्यम स्तर के विधि अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण में तीन महीने की अवधि का बुनियादी पाठ्यक्रम;

(II) केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मध्यम स्तर के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह की अवधि का मूल्यांकन पाठ्यक्रम।

(2) रिर्पोटाधीन अवधि के दौरान आई.एल.डी.आर. ने एक बुनियादी पाठयक्रम, एक मूल्यांकन कार्यक्रम तथा एक पुनश्चर्या पाठयक्रम का आयोजन किया। विधायी प्रारूपण में अठ्ठाइसवें बुनियादी पाठयक्रम का आयोजन 11 जुलाई, 2016 से 10 अक्तूबर, 2016 के दौरान किया गया था। विधायी प्रारूपण में उन्नीसवें मूल्यांकन पाठयक्रम का आयोजन 20 जनवरी, 2016 से 3 फरवरी, 2016 तक किया गया।

(3) आई.एल.डी.आर., कानून के विद्यार्थियों के लिए स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम संचालित करता है ताकि विद्यार्थियों के मन में विधायी प्रारूपण के कौशल के बारे में रूचि पैदा हो सके तथा वह विधायी विभाग की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी एकत्रित कर सके। अब तक 284 प्रशिक्षु बुनियादी पाठयक्रम में तथा 263 प्रशिक्षु मूल्यांकन पाठयक्रम में सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी कर चुके हैं। 100 से अधिक छात्रों को स्वैच्छिक इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत अवसर दिया जा चुका है।

29. ई–गवर्नेंस की पहलें

(i) **ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क:** डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के भाग के रूप में विधायी विभाग के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) के माध्यम से ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क (सी एम एस) को अपनाने का निर्णय लिया है ताकि विभाग की वेबसाइट को और अधिक नागरिक अनुकूल बनाया जा सके। यह कार्य अंतिम चरण में है तथा इसे शीघ्र लागू कर दिया जाएगा। ओपन सोर्स कन्टेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को अपनाने का उद्देश्य यह है कि सरकारी विभागों की वेबसाइट में सुधार किया जा सके ताकि स्थिर पड़ी वेबसाइट को एक सक्रिय पोर्टल में परिवार्तित किया जा सके तथा इसमें मोबाइल फ्रेंडलीनेस, टेक्स्ट स्पीच सशक्तिकरण तथा विजीटर एनेलेटिक डेशबोर्ड जैसी कतिपय विशेष सुविधाएं स्वतः उपलब्ध करवाई जा सकें। एन.आई.सी. की सीएमएफ टीम इस कार्य को पूरा करने की अंतिम अवस्था में है तथा ओपन सोर्स सी.एम.एफ. वेबसाइट को शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

(ii) **ई–ऑफिस का कार्यान्वयन:** सुशासन के भाग के रूप में तथा सरकार की मिशन मोड परियोजनाओं का एक महत्वपूर्ण भाग के नाते ई–ऑफिस के कार्यान्वयन पर विभाग सक्रियता के विचार कर रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि विधायी विभाग में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी)/राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा संस्थान (एन.आई.सी. एस.आई.) द्वारा उपलब्ध ई–ऑफिस प्रीमियम का कार्यान्वयन किया जाए। ई–ऑफिस प्रीमियम एक मानक उत्पाद है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है तथा यह विभिन्न सरकारी मंत्रालयों/विभागों में दोहराये जाने में सक्षम है। इस परियोजना को एन.आई.सी. एस.आई. की सहायता से लागू किया जाएगा। ई–ऑफिस लागू करने के लिए एन.आई.सी. एस.आई. ने विधायी विभाग को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तथा अब इसके संबंध में वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय अनुमोदन प्राप्त हो जाने के उपरांत विभाग में चरणबद्ध तरीके से परियोजना शुरू करने के लिए एन.आई.सी. तथा एन.आई.सी.एस.आई. के समन्वय से एन.आई.सी.एस.आई. के प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार कदम उठाए जाएंगे।

(iii) **इंटरनेट प्रोटोकॉल का 1PV4 से1PV6 में परिवर्तन:** विभाग में लगे कम्प्यूटर सिस्टम के इंटरनेट प्रोटोकॉल के 1PV4 से 1PV6 में परिवर्तन हेतु एन आई सी कक्ष के समन्वय से विधायी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। एन आई सी कक्ष ने मामले की जांच

कर यह बताया है कि नॉन–मैनेजेबल हब्स को मैनेजेबल स्विच द्वारा प्रतिस्थापित कर इस विभाग के लैन के सभी नेटवर्क राउटरों को 1PV6 कम्पैटिबल बना दिया गया है। नेटवर्क प्रशासन, एन आई सी मुख्यालय, से तैयारी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत 1PV6 परिवर्तन के संबंध में एन आई सी कक्ष प्रायोगिक टेस्ट नेटवर्क आरंभ करेगा।

(iv) **विधायी विभाग में किसी भी संभव साइबर अटैक को नाकाम करने के लिए साइबर सुरक्षा निर्देश:** विभाग की वेबसाइट को किसी भी संभव साइबर अटैक से बचाने तथा सुरक्षित बनाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए साइबर सुरक्षा निर्देशों को सख्त अनुपालन के लिए परिचालित किया गया है ताकि विधायी विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को गैर राज्य संस्थाओं द्वारा डाटा चोरी, हैकिंग तथा इसी प्रकार के अन्य साइबर अटैकों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके।

30. सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के अधिनियमन के परिणामस्वरूप, विधायी विभाग ने सूचना का अधिकार संबंधी प्रकोष्ठ का गठन 12 अगस्त, 2005 से किया हुआ है, जिसमें एक अपीलीय प्राधिकारी, एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी हैं। वर्तमान में डॉ मुकुलिता विजयवर्गीय, अपर सचिवय श्री एस.के. चिटकारा, उप सचिव तथा सुश्री विद्यावती, अवर सचिव, अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस विभाग ने, विभाग की शासकीय वेबसाइट पर सूचना का अधिकार शीर्षक के अधीन पृथक वेबपेज आरंभ किया है और इस विभाग से संबंधित अधिकतम सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अनुरूप उसमें प्रसारित किया है जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन प्रकाल्पित सूचना के स्वतः प्रकटन का उद्देश्य पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के अपीलीय प्राधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के ई–मेल संपर्क पते राष्ट्रीय सूचना केंद्र प्रकोष्ठ के साथ समन्वय से सृजित किए गए हैं ताकि इस विभाग की वेबसाइट का उपयोग उक्त अधिनियम के उपबंधों का उपयोग करने में जनता के लिए और अधिक अनुकूल बनाया जा सके। अपीलीय प्राधिकारी का ई–मेल संपर्क पता aa.rti.legis@nic.in है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी का संपर्क पता cpio.rti.legis@nic.in है ।

(2) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच की जाती है तथा विधायी विभाग की संबंधित प्रशासनिक यूनिट से उपलब्ध सूचना प्राप्त कर इसे आवेदक को प्रदान किया जाता है। साथ ही, जिन आवेदनों की विषय–वस्तु केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों से संबंधित होती है उन्हें उक्त अधिनियम के

प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार संबंधित मंत्रालय/विभाग में शीघ्र ही हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा, प्रथम अपील के मामले में इसकी अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निष्पक्षता से जांच की जाती है तथा विहित समय–सीमा के भीतर इसका निपटान कर दिया जाता है। वर्ष 2016–17 (1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016) के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए सात सौ सत्तर (770) आवेदन प्राप्त हुए थे, जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार आवेदकों को उचित उत्तर देते हुए उनका शीघ्र निपटान किया गया था। 1 अप्रैल, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर सभी इकहत्तर (71) प्रथम अपीलों का उनके गुण–दोषों के आधार पर निपटान कर दिया गया है। आवेदनों के आगम के रूझान को देखते हुए लगता है कि 2016–2017 के शेष तीन महीनों के दौरान 300 से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। आरटीआई आवेदन का निपटान करते हुए दिसंबर, 2016 तक आवेदन शुल्क तथा फोटोकॉपी शुल्क के रूप में इस विभाग ने 4270/– रू. अर्जित किए हैं।

31. शुद्धि अनुभाग

(1) केंद्र तथा राज्यों की संहिताओं का रख–रखाव

शुद्धि अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों के प्रयोग हेतु भारत का संविधान और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों, निर्वाचन विधि निर्देशिका, केंद्रीय अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों और राज्यों के अधिनियमों का रख–रखाव करता है। बजट सत्र, मॉनसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र 2016 के दौरान पारित और प्रवृत्त किए गए संशोधनकारी अधिनियमों द्वारा किए गए संशोधनों को इंडिया कोड के जिल्दों में समाविष्ट कर दिया गया है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2016 में 13 राज्यों अर्थात, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना तथा दिल्ली से राज्यों के अधिनियम इस विभाग को प्राप्त हो गए हैं। इस विभाग का शुद्धि अनुभाग इंडिया कोड की मास्टर कॉपी का रख–रखाव करता है, जिसमें प्रभारी मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारियों (विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग) तथा भारत सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा संदर्भ हेतु अखिल भारतीय अनुप्रयोग के लिए अनिरसित केंद्रीय अधिनियम शामिल होते हैं। ये बहुमूल्य संदर्भ पुस्तकें होती हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमों के संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। वर्ष 2015 तक के संशोधन अधिनियमों सहित केंद्रीय अधिनियमों को इंडिया कोड की मास्टर कॉपी में अपडेट कर दिया गया है तथा केंद्रीय अधिनियमों की सूची (वर्णक्रमानुसार तथा कालक्रमानुसार) को भी निकनेट तथा इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इंडिया कोड की वेबसाइट का पता है http://indiacode.nic.in

(2) वर्ष 2016 के दौरान शुद्धि अनुभाग ने संसद के उनसठ अधिनियमों की गजट प्रतियां (अध्यादेश, विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम सहित) तथा एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम आधिकारिक वेबसाइट www.egazette.nic.in से डाउनलोड कीं। उपर्युक्त में से, 13 मुख्य अधिनियम, 24 संशोधित अधिनियम तथा 10 अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए गए हैं:–

क. वर्ष के दौरान प्राप्त मुख्य अधिनियम (विनियोग अधिनियम और वित्त अधिनियम के अतिरिक्त)

1. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 (2016 का 1)
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2)
3. वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय, वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015
4. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)
5. भू–संपदा (विनियम और विकास) अधिनियम, 2016
6. राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 का 17)
7. आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18)
8. यान–हरण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 30)
9. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31)
10. डॉ राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (2016 का 32)
11. क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र अधिनियम, 2016 (2016 का 36)
12. प्रतिकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38)
13. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49)

ख. वर्ष के दौरान एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अतिरिक्त निम्नलिखित संशोधन अधिनियम प्राप्त हुए।

1. माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2015 का 3)
2. परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 5)
3. बोनस संदाय अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 6)

4. चीनी उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 का 9)
5. निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 10)
6. विमानवहन अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 12)
7. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 13)
8. सिख गुरुद्वारा (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 21)
9. निरसन और संशोधन अधिनियम 2016 (2016 का 23)
10. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 24)
11. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन, 2016 अधिनियम, 2016 (2016 का 25)
12. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2016 (2016 का 27)
13. भारतीय न्यास (संशोधन) अधिनियम 2016 (2016 का 34)
14. बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 (2016 का 35)
15. लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 37)
16. भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 39)
17. दंत–चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 40)
18. तकनीकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 41)
19. राष्ट्रीय तकनीकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 42)
20. बेनामी संव्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 43)
21. प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋणवसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2016 (2016 का 44)
22. केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 45)
23. कराधान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 47)
24. कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 48)

ग. इस वर्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश हैं–

1. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2016 (2016 का 1)
2. उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 2016 (2016 का 2)

3. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) द्वितीय अध्यादेश, 2016 (2016 का 3)
4. भारतीय आर्युविज्ञान परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का 4)
5. दंतचिकित्सक (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का 5)
6. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) तृतीय अध्यादेश, 2016 (2016 का 6)
7. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) चौथ अध्यादेश, 2016 (2016 का 7)
8. शत्रु संपत्ति (संशोधन और विधिमान्यकरण) पांचवां अध्यादेश, 2016 (2016 का 8)
9. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, अध्यादेश, 2016 (2016 का 9)
10. विनिर्दिष्ट बैंक नोट (उत्तरदायित्व का समाप्त होना) अध्यादेश, 2016

(3) संसद के अधिनियमों के आधार पर प्रधान अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में संशोधन दर्ज कर दिए गए हैं। वर्ष 2016 के दौरान, जिन अधिनियमों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लागू कर दिया गया है उनके प्रवर्तन होने की तारीख और उनकी अधिसूचना संख्या संबंधित अधिनियमों की मास्टर प्रतियों में यथास्थान दर्ज कर दी गई हैं।

32. राजपत्र अधिसूचाएं

अक्तूबर 2016 तक शुद्धि अनुभाग में वर्ष 2015 तक की भारत का गजट अधिसूचनाएं प्राप्त की गई हैं। शहरी विकास मंत्रालय, (पीएसपी प्रभाग) के दिनांक 25 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2015–16 की सभी गजट अधिसूचना तथा संसद के अधिनियम आधिकारिक वेबसाइट www.egazette.nic.in पर अपलोड करके ई–प्रकाशित किए जाएंगे। इनकी राजपत्र गजट प्रतियों को डाउनलोड कर संबंधित फोल्डरों में क्रमबद्ध कर लिया गया हैं।

33. राज्य अधिनियम

वर्ष 2016 के दौरान कुल 295 राज्य अधिनियम और 66 अध्यादेश विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए। सभी अधिनियमों और अध्यादेशों को संबंधित रजिस्टरों और फोल्डरों में दर्ज कर लिया गया है।

34. मुद्रण अनुभाग

विधायी विभाग के मुद्रण अनुभाग (मुद्रण– I और मुद्रण– II) विधायन की प्रक्रिया के विभिन्न प्रक्रमों पर मुद्रण का कार्य करने से संबंधित हैं। इन दोनों अनुभागों के कार्यों में विधेयकों की पांडुलिपियों (जिसमें विषय–वस्तु और उपाबंध, जहां–जहां अपेक्षित हैं, को तैयार करना सम्मिलित है), अध्यादेशों, विनियमों, अनुकूलन आदेशों, भारत के संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, परिसीमन आदेशों और अन्य कानूनी विलेखों को मुद्रणालय भेजने से पहले उनका संपादन करना

शामिल है। विधेयकों के प्रूफ आदि की बहुल प्रक्रमों पर जांच की जाती है और अनुमोदन के पश्चात् विधायी– I अनुभाग को भेज दिए जाते हैं जो उन्हें लोक सभा/राज्य सभा सचिवालयों को ''लोक सभाध्राज्य सभा में पुरःस्थापित किए जाने के लिए'' प्रक्रम हेतु मुद्रण के लिए अग्रेषित करता है। ऐसे विधेयकों को, जिन्हें अल्प–सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, मुद्रण अनुभागों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुद्रित किया जाता है। तत्पश्चात, विधेयकों की मुद्रित प्रतियां, विभिन्न प्रक्रमों पर जांची जाती हैं जैसे यथा पुरःस्थापित किए जाने वाले प्रक्रम, लोक सभा/राज्य सभा द्वारा यथा पारित प्रक्रम, दोनों सदनों से यथा पारित प्रक्रम, अनुमति प्रति प्रक्रम, हस्ताक्षर प्रति प्रक्रम और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात, अधिनियम को तैयार किया जाता है और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्रवाई की जाती है। उसके ठीक पश्चात् जनता में विक्रय करने के लिए ए–4 प्रक्रम की प्रति उसी रूप में पुनः प्रकाशन करने के लिए तैयार और संपादित की जाती है। ए–4 आकार के अधिनियमों के प्रूफों को पुनःसंवीक्षित किया जाता है और अंतिम मुद्रण के लिए मुद्रणालय को लौटाने से पूर्व अनुमोदित किया जाता है और अधिनियम की मुद्रित प्रति की अशुद्धियों के लिए जांच की जाती है और विक्रय के लिए जारी की जाती है।

(2) इसके अतिरिक्त, विभाग की आवश्यकता के अनुसार भारत का संविधान और निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत संहिता, संसद के अधिनियमों, केन्द्रीय अधिनियमों के अद्यतन द्विभाषी संस्करण, आदि जैसे विभिन्न अन्य प्रकाशनों के संपादन और प्रूफ की जांच भी इस विभाग के मुद्रण अनुभागों द्वारा की जाती है।

(3) 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विधायी विभाग के मुद्रण– I तथा मुद्रण– II अनुभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये गये :–

(क) कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों, जैसे वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28), दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31), प्रतिकात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 31) तथा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम 2016 (2016 का 43) का प्रक्रमण और अधिनियमन।

(ख) 100 विधेयकों, 10 अध्यादेशों, 2 संवैधानिक आदेशो, 2 विनियमों तथा 1 गजट की पांडुलिफियों, प्रूफों और संवीक्षा प्रतियों का संपादन किया गया और जांच की गई ;

(ग) भारत का संविधान की कम्प्यूटर प्रिंट आउट प्रतियों 480x2=960 पेजों की जांच की।

(घ) संसद के 31 अधिनियमों का संपादन तथा जांच की गई।

(ङ) केंद्रीय अधिनियमों के 17 डिग्लॉट संशोधित संस्करणों के प्रूफों तथा प्रिंट प्रतियों की जांच की गई।

(च) वर्ष 1993, 2011 तथा 2012 के लिए संसद के अधिनियमों की कम्प्यूटर प्रिंट आउट प्रतियों की जांच की गई।

(छ) वर्ष 2015 से 2016 के लिए लगभग 9000 पेजों के इंडिया कोड अद्यतित अधिनियमों के प्रिंट आउट पेजों की जांच की गई।

35. साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (जी.एस.आर.ओ.)

केन्द्रीय अधिनियमों के संशोधित संस्करण विधायी विभाग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ विधायन सम्बान्धित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

(2) किसी अधिनियमन के अधीन अधीनस्थ विधायन जिसमें संवैधानिक नियम और ओदश, अधिसूचना आदि शामिल होते हैं, विधायी विभाग से विधिक्षा करवाने के उपरान्त उस मंत्रालय या विभाग के द्वारा जारी किया जाता है जो उस अधिनियम से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित होता है। अधीनस्थ विधायन पर संसदीय समिति की संस्तुतियों के अनुपालन में अधीनस्थ विधायन को अद्यतन रखने और जनता को उसे त्वरित गति से उपलब्ध करवाने की एक योजना बनाई गई थी। उक्त योजना के अन्तर्गत, प्रशासनिक मंत्रालयों से यह अपेक्षित है कि वे उनके द्वारा जारी किए गए नियमों, आदेशों और अधिसूचनाओं की अद्यतन प्रतियों वाले फोल्डरों का रख–रखाव करें।

(3) अधीनस्थ विधायन पर राज्य सभा समिति ने अपनी 135वीं रिपोर्ट में स्पस्ट रूप से यह संस्तुति की थी कि मंत्रालय, अपनी ई – गवर्नेन्स पहल के हिस्से के रूप में, सभी अधीनस्थ विधायन अधीमानतः द्विभाषी रूप में अपनी बेबसाइट पर रखें। समिति ने यह भी संस्तुति की थी कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी मंत्रालयों के प्रयोग हेतु एक इन्टरनेट अन्तराष्ट्रीय सहित एक मानक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करेगा जो सम्बन्धित मंत्रालय के प्रशासनाधीन प्रधान अधिनियमों से संबद्ध अधीनस्थ विधायन का तलाशने योग्य डेटाबेस उपलब्ध करवाएगा।

(4) विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) भारत के गजट में प्रकाशित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए साधारण कानूनी नियमों एवं आदेशों से संबंधित वर्णानुक्रम रजिस्टर तैयार करता है तथा उन्हें आधिकारिक कार्य हेतु पुस्तक के रूप में संग्रहित करता है। दिसंबर, 2015 तक के भाग– ।।, खण्ड–3, उपखण्ड (i) तथा (ii) के अधीन दोनों साधारण तथा असाधारण अधिसूचनाओं के बारे में विभिन्न अधिसूचनाओं की वर्णानुक्रम रजिस्टर में प्रविष्टि की जा चुकी है।

(5) विधायी विभाग के साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग (सा.का.नि.आ.अनुभाग) द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए वर्ष 2015 तक के अधीनस्थ विधायनों से संबंधित भाग–II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) तथा (ii) के अधीन प्राप्त अधिसूचनाओं, जोकि साधारण और असाधारण से संबंधित हैं, की गजट प्रतियां छांट ली गई हैं और पुस्तक रूप में तैयार कर ली गई हैं।

(6) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी किए गए वर्ष 2015 तक की अवधि के साधारण और असाधारण से संबंधित भाग–II, खण्ड 4 के अधीन प्राप्त गजट अधिसूचनाओं की प्रतियां छांटी ली गई हैं और पुस्तक रूप में तैयार करने हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

(7) वर्ष 2016 के दौरान, साधारण कानूनी नियम एवं आदेश अनुभाग द्वारा मई, 2015 तक की अधिसूचनाएं प्राप्त की गईं हैं। शहरी विकास मंत्रालय, (पीएसपी प्रभाग) के दिनांक 25 फरवरी, 2016 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वर्ष 2015–16 की सभी गजट अधिसूचना, वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट www.egazette.nic.in पर अपलोड करके ई–प्रकाशित की जाएंगी।

36. एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग

एकल वित्त और बजट एवं लेखा अनुभाग विधि एवं न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों नामतः विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग तथा न्याय विभाग और विभिन्न स्वशासी निकायों–आई सी ए डी आर, आई सी पी एस, बी सी आई, आई टी ए टी, नालसा, उच्चतम न्यायालय विधिक संघ इत्यादि सहित विधि और न्याय मंत्रालय के बजट अनुमान और संशोधित अनुमान तैयार करने से संबंधित कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, बजट को अंतिम रूप देने, बजट–पूर्व विचार–विमर्श, लेखा अनुदान और अनुपूरक/अतिरिक्त निधियों की मांगों को प्राप्त किए जाने संबंधी कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग और उच्चतम न्यायालय सहित सम्पूर्ण मंत्रालय के लिए विस्तृत अनुदान मांगों को तैयार करने से संबंधित कार्य भी बजट तथा लेखा अनुभाग द्वारा निष्पादित किया जाता है। यह अनुभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और परिणाम बजट को तैयार करने और मुद्रित करवाने के लिए भी उतरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग उन प्रस्तावों जिनमें वित्तीय पहलू अन्तर्वलित है और जहां वित्त मंत्रालय की विशिष्ट राय लेना अपेक्षित है, से संबंधित कार्य भी करता है। विधि और न्याय मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर संसदीय स्थायी समिति से संबंधित कार्य का समन्वय भी इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(2) उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त मुख्य शीर्ष 2015 के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डल वाले) के निर्वाचन संबंधी व्यय के संबंध में निधियों को अंतिम रूप से निर्गत करने से संबंधित कार्य करना भी इसी अनुभाग का उत्तरदायित्व है। यह अनुभाग निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत निधियों को निर्गत करता है:

(क) **निर्वाचन कार्यालय** : यह निर्वाचन स्टाफ के वेतन सहित दिन प्रतिदिन के स्थापना संबंधी व्यय से संबंधित है। इस व्यय को भारत सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमण्डल वाले) के बीच 50 रू 50 के अनुपात में वहन किया जाता है।

(ख) **निर्वाचक नामावली को तैयार करना और उसका मुद्रण** : यह, भारत निर्वाचन आयोग के निदेशन पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (विधानमण्डल वाले) द्वारा किए गए निर्वाचक नामावलियों के कम्प्यूटरीकरण फर उपगत व्यय को छोड़कर निर्वाचक नामावलियों के मुद्रण से संबंधित है।

(ग) **लोकसभा के निर्वाचनों के आयोजन हेतु प्रभार** : चुनाव जब स्वतंत्र रूप से आयोजित किए जाते हैं तो सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है किन्तु जब यह राज्य विधान मण्डल चुनावों के साथ आयोजित किए जाते हैं तो खर्च को दोनों के द्वारा समान अनुपात में वहन किया जाता है।

(घ) **संसद (राज्य सभा) के निर्वाचनों के आयोजन हेतु प्रभारः** सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ड.) **मतदाताओं को फोटो फहचान–पत्र जारी करना** – यह व्यय भारत सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मण्डल वाले) सरकारों के बीच 50 रू 50 के अनुपात में वहन किया जाता है और यह एक आवर्ती व्यय है।

(च) **इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीन (ई वी एम) पर व्यय और राष्ट्रपतीय तथा उप–राष्ट्रपतीय निर्वाचनों पर व्यय** : सम्पूर्ण व्यय संघ सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

37. प्रकाशन अनुभाग

यह अनुभाग समय–समय पर केन्द्रीय अधिनियमों और भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, भारत का संविधान के अधीन जारी किए गए आदेशों, कानूनी परिभाषाओं की अनुक्रमणिका आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशनों के उपांतरित संस्करण निकालता रहता है।

(2) भारत का संविधान (अंग्रेज़ी और हिंदी पाठ) को नवीनतम संशोधनों सहित संविधान का डिग्लॉट रूप में पांचवां पॉकेट संस्करण निकालने के लिए संकलित कर लिया गया है।

(3) लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किए जाने हेतु भारत का संविधान के प्रूफों की जांच तथा पुनरीक्षण किया गया है।

(4) 15 अधिनियमों जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, साक्ष्य अधिनियम, 1872, भारतीय दंड संहिता, 1860 शामिल हैं, के अंग्रेज़ी पाठ की हस्तलिपि, जिसमें नवीन संशोधन भी यथावत सम्मलित हैं, को तैयार की लिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु राजभाषा खण्ड को भेज दी गई है तथा कुछ केंद्रीय अधिनियमों का प्रकाशन प्रक्रियाधीन है।

38. राजभाषा अनुभाग

विधायी विभाग का राजभाषा अनुभाग, भारत संघ की राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक रूप से उत्तरदायी है। यह अनुभाग अंग्रेजी से हिंदी तथा व्युत्क्रमतः अनुवाद कार्य करने सहित, भारत संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी है।

(2) राजभाषा नीति के सांविधानिक और अन्य उपबंधों का कार्यान्वयन

(i) विधायी विभाग ने 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान राजभाषा नीति के समस्त पक्षों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं :– राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार, वर्तमान में 'क', 'ख' तथा 'ग' क्षेत्र को क्रमशः 90% 75% तथा 64% प्रतिशत से अधिक पत्र हिंदी में भेजे जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में अनुबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के उत्तर हिंदी में ही भेजे जाते हैं। भारत संघ की राजभाषा नीति के अनुसार अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों, अभ्यावेदनों आदि के भी उत्तर हिंदी में ही भेजे जा रहे हैं। सभी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक रिपोर्टें व अन्य रिपोर्टें, संविदाएं, नोटिस और संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसार द्विभाषी रूप में तैयार एवं जारी किए जाते हैं।

(ii) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप–नियम (4) के अनुसरण में 29 अप्रैल, 1979 को विधायी विभाग को सरकारी कार्य हिंदी में करने हेत अधिसूचित किया गया था। हिंदी में प्रवीण अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रारूप आदि हिंदी में ही प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए हैं। इस प्रयोजन के लिए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 के उप–नियम (4) के अधीन अपना अधिकतम कार्य केवल हिंदी में करने के लिए 31 अनुभागों में से 17 अनुभागों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

(3) राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु तिमाही प्रगति रिपोर्ट

हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्टें नियमित रूप से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भेजी जाती हैं। इन रिपोर्टों के माध्यम से हिंदी प्रशिक्षण के संबंध में कर्मचारियों की स्थिति और हिंदी में उनके संपूर्ण कार्य को परिलक्षित किया जाता है और यह सुनिाश्चित किया जाता है कि गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हिंदी में पत्राचार, टिप्फणी और प्रारूपण करने में वृद्धि हो।

(4) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें:

इस विभाग में संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (राजभाषा खण्ड) तथा राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की हुई है। शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के निर्धारण के लिए इस समिति की बैठकें नियमित रूप से तीन मास में एक बार आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं। कार्यवृत्त को विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभागों में भी अनुपालन के लिए परिचालित किया जाता है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें **क्रमशः 18 मार्च, 2016 (पहली), 20 जून, 2016 (दूसरी), 29 सितंबर, 2016 (तीसरी) और 22 दिसंबर, 2016 (चौथी)** को आयोजित की गई थीं। यह समिति हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए प्रभावी उपाय प्रस्तुत करती है। समिति की बैठकों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम पर भी विचार–विमर्श किया जाता है और उसमें विहित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। समिति की इन बैठकों में भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, संस्तुतियों आदि पर भी चर्चा की जाती है।

(5) मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का 4 अगस्त, 1967 को गठन किया गया था । यह समिति विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए संयुक्त रूप से गठित की गई है। इस समिति में, संसदीय कार्य मंत्रालय और संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामनिर्देशिती माननीय संसद सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के नामनिर्देशिती, प्रमुख अखिल भारतीय हिंदी स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि और विधि एवं न्याय मंत्रालय और राजभाषा विभाग के नामनिर्देशित गैर गैर सदस्यों के रूप में होते हैं। विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और राजभाषा

विभाग के सचिव, अपर सचिव तथा ऊपर वार्णित विभागों के संबंधित संयुक्त सचिव समिति के शासकीय सदस्यों के रूप में साम्मिलित होते हैं।

16वीं लोक सभा के गठन के बाद समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है तथा इसकी पहली बैठक उदयपुर, राजस्थान में दिनांक 7 जुलाई, 2015 को आयोजित की गई थी।

(6) हिंदी प्रशिक्षण

यह विभाग हिंदी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी के विभिन्न प्रशिक्षण पाठयक्रमों के लिए अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करता है। हिंदी भाषा के यह पाठयक्रम, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हैं। हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के लिए भी प्रशिक्षण पाठयक्रम हैं। हिंदी के इन पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थानांतरण होता रहता है।

(7) हिंदी पखवाड़े का आयोजन

इस विभाग में **14 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2016** तक ''हिंदी पखवाड़े'' का आयोजन किया गया था। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं और अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें से दो प्रतियोगिताएं हिंदीतर कार्मिकों के लिए पृथक रूप से आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं के लिए क्रमशः 2500/–रुपए, 2000/– रुपए, 1500/– रुपए और 500/– रुपए के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रोत्साहन पुरस्कार थे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत करने हेतु कुल 64,000/– रुपए की राशि स्वीकृति की गई है।

(8) हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं

इस विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए राजभाषा विभाग द्वारा यथा निर्देशित तीन प्रोत्साहन योजनाएं विभाग में लागू की जाती हैं। इस वर्ष केवल हिंदी में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से दस कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। इन योजनाओं के अलावा हिंदी शिक्षण योजना के अधीन आयोजित हिंदी भाषा, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण के हिंदी प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान की जाती है।

(9) संसदीय राजभाषा समिति

संसदीय राजभाषा समिति का गठन सन् 1976 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों व उनके कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में अनुवीक्षण करने व सुझाव देने के दृष्टिकोण से किया गया था। जहां तक विधायी विभाग का सम्बन्ध है, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों को विभाग में कार्यान्वित किया जा रहा है।

39. राजभाषा खंड

(1) कृत्य

राजभाषा खंड, विधायी विभाग के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग का उत्तरवर्ती संगठन है। इसे निम्नलिखित कृत्य सौंपे गए हैं :–

(i) सभी राजभाषाओं में, यथासंभव उपयोग के लिए मानक विधि शब्दावली की तैयारी और उनता प्रकाशन ;

(ii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी ;

(iii) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी केन्द्रीय अधिनियम या किसी अध्यादेश या विनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और आदेशों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ की तैयारी ;

(iv) राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों और विनियमों का राज्यों की अपनी–अपनी राजभाषा में प्राधिकृत पाठ की तैयारी तथा किसी राज्य में यदि ऐसे अधिनियमों या अध्यादेशों का पाठ हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में है, तो पारित किए गए सभी अधिनियमों और प्रख्यापित अध्यादेशों के हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था ;

(v) विभिन्न विभागों के विलेखों, विधि दस्तावेजों जैसे संविदा, करार, पट्टों, बंधपत्र, गिरवी आदि का हिन्दी अनुवाद ;

(vi) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अधीन यथा अपेक्षित सभी कानूनी अधिसूचनाओं का हिन्दी अनुवाद ;

(vii) राष्ट्रपतीय नियम के अधीन राज्यों की सरकारों द्वारा जारी किए गए कानूनी नियमों का हिन्दी अनुवाद ;

(viii) संसद के सभी प्रश्न/उत्तर, आश्वासन आदि का हिन्दी अनुवाद जो विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित हैं ;

(ix) हिन्दी भाषी राज्यों के अधिकारियों को हिन्दी में विधायी प्रारूपण में प्रशिक्षण ;

(x) विधिक शैली और हिन्दी के मानक खंडों के मॉडल और उनके प्रकाशन की एकरूफता के मूल्यांकन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी भाषी राज्यों की समन्वयन समिति से संबंधित कार्य ;

(xi) विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य ;

(xii) विधि के क्षेत्र में राजभाषा के संवर्धन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने से संबंधित कार्य ;

(xiii) केन्द्रीय अधिनियमों (विधायी इतिहास सहित) के द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों का प्रकाशन और उनका प्रचार ;

(xiv) हिन्दी और द्विभाषी (डिग्लॉट) प्रारूप में इंडिया कोड (भारत संहिता) की तैयारी और अनुरक्षण ; तथा

(xv) भारत के संविधान का क्षेत्रीय भाषाओं के संस्करणों का प्रकाशन और उनका विमोचन।

(2) विधि शब्दावली

वर्ष 1961 में राजभाषा (विधायी) आयोग की शुरूआत होने से अब तक विधि शब्दावली के छह संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं तथा प्रत्येक क्रमवर्ती संस्करण आकार में बड़ा है। विधि शब्दावली के प्रथम संस्करण (1970) में 20,000 प्रविष्टियां थीं, जबकि नवीनतम छठे संस्करण (2001) में, जो आठ भागों में विस्तृत है, में लगभग 63,000 प्रविष्टियां हैं। विधि शब्दावली का नवीनतम 7वां संस्करण वर्ष 2015 में प्रकाशित किया गया है तथा इसमें 7 भागों में 65,000 प्रविष्टियां हैं। राजभाषा खंड द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली को, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली प्रकाशन है, विधि क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और विद्वानों से व्यापक प्रशंसा प्राप्त हुई है।

(3) भारत का संविधान

हिन्दी (संघ की राजभाषा) में भारत के संविधान के प्राधिकृत पाठ के अतिरिक्त, 15 अन्य प्रादेशिक भाषाओं अर्थात् असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, नेपाली और कोंकणी में संविधान के प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए गए हैं। प्रथम संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर, 2015 को भारत का संविधान का विशिष्ट संस्करण प्रकाशित किया गया।

(4) भारत संहिता

सभी केन्द्रीय अधिनियमों का संकलन कर लिया गया है और उपयोगी खण्डों के रूप में भारत संहिता के नाम से प्रकाशित कर दी गई हैं। भारत संहिता का अंतिम संस्करण 1959 में आठ जिल्दों में प्रकाशित करवाया गया था। भारत संहिता (इंडिया कोड का संशोधित संस्करण) को कालक्रमानुसार द्विभाषी रूप (डिगलॉट) में प्रकाशित करने हेतु कार्रवाई पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

संहिता की प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है कि प्रमुख विधेयकों के संलग्नक में दिए गए उद्देश्यों और कारणों का विवरण प्रत्येक अधिनियम के अन्त में भी जोड़ा गया है और भारत संहिता के संशोधित संस्करण में भी समाविष्ट किया गया है। भारत संहिता के संशोधित संस्करण के खण्ड I से XXXI तक प्रकाशित किए जा चुके हैं और भारत संहिता की जिल्द XXXII और XXXIII की हस्तलिपि मुद्रण हेतु भेज दी गई हैं।

(5) केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1)(क) के अधीन 38 अधिनियमों का हिंदी में प्राधिकृत पाठ राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे अधिनियमों की 1963 से लेकर अब तक कुल संख्या 2391 हो गई है।

(6) केंद्रीय अधिनियमों के डिग्लॉट संस्करणों का प्रकाशन

ऐसे केंद्रीय अधिनियम, जिनकी जनता में मांग बढ़ने की संभावना है, राजभाषा खंड द्वारा द्विभाषी (डिग्लॉट) रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। जब किसी अधिनियम विशेष की जनता में मांग होती है तो उसे जनसाधारण में बिक्री के लिए द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेज़ी) रूप में प्रकाशित किया जाता है। ऐसे अधिनियमों की कुल संख्या अब 401 हो गई है।

(7) विधेयकों, अध्यादेशों आदि के प्राधिकृत हिंदी अनुवाद

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (2) यह अपेक्षा करती है कि संसद के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या उनके संबंध में लाए जाने वाले संशोधनों के साथ उनका हिंदी अनुवाद भी संलग्न होगा। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 87 विधेयकों के हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी पाठ के साथ संसद के सदनों को भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त, 7 अध्यादेशों, 6 मंत्रिमंडल टिप्पणों तथा 40 अधिनियमों के हिंदी अनुवाद भी तैयार किए गए थे।

(8) साधारण कानूनी नियम और आदेश (सा.का.नि.आ.)

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 की उपधारा (3) केंद्रीय सरकार में द्विभाषी कार्य के लिए आधार अधिकथित करती है। उस उपधारा के खंड (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए या बनाए गए सभी संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होनी चाहिएं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, 8477 पृष्ठों के ऐसे कानूनी नियम/अधिसूचनाएं, आदि केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के लिए तैयार की गई थीं।

(9) नियमों, विनियमों, आदेशों, आदि के प्राधिकृत पाठों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) का खंड (ख) यह अपेक्षा करता है कि संविधान के अधीन या किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हिंदी अनुवाद, हिंदी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। कुछ नियम, विनियम, आदेश आदि अनुवाद के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भर्ती नियमों के 2788 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद किया गया है, सात विनियमों के प्राधिकृत पाठ का प्रकाशन उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)(ख) के अध किया गया है।

(10) केंद्रीय अधिनियमों आदि का रख–रखाव

राजभाषा खण्ड का संशोधन अनुभाग, इंडिया कोड के साथ ही इंडिया कोड (डिगलॉट) और भारत संहिता के रूप में रखी गई केंद्रीय विधानों की मूल प्रतियों के अनुरक्षण और अद्यतन रखने का कार्य करता है। यह अनुभाग भारत का संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका और अन्य महत्वपूर्ण मैनुअलों को राजभाषा खंड के अधिकारियों के संदर्भ के लिए अद्यतन रखता है। यह अनुभाग, केन्द्रीय अधिनियमों की पूवोक्त मुख्य प्रतियों में, संसद् द्वारा पारित संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों को करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अधिनियमों की पांडुलिपियों को डिग्लॉट रूप में तैयार कर लिया गया है तथा राजभाषा खण्ड द्वारा 8 डिग्लॉट संस्करण प्रकाशित की गई हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस अनुभाग ने :

(क) 15 अद्यतित केंद्रीय अधिनियमों (डिग्लॉट, संस्करण) की अंग्रेज़ी प्रतियां विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी; तथा

(ख) हिंदी भाषी राज्यों को केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठ वाली गजट प्रतियां, अपने–अपने राज्य के राजपत्रों में पुनः प्रकाशन के लिए भेजीं। इस वर्ष केन्द्रीय अधिनियमों की वर्णक्रम और काल क्रम (डिग्लॉट) में विवरणिका और भारत का संविधान (डिग्लॉट) तैयार किए गए और प्रकाशित किए गए।

(ग) प्रकाशन संबंधी कार्य मुख्य रूप से इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

(11) विधेयकों, अधिनियमों, अध्यादेशों, द्विभाषी (डिग्लॉट) संस्करणों, आदि की पांडुलिपियों का संपादन और उनका प्रकाशन

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग मुख्यतः भारत के संविधान के अधीन जारी विधेयकों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि, और परिषद निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, आदि की पांडुलिपियों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य करता है। ऐसे विधेयकों को भी, जिन्हें अल्प–सूचना पर पुरःस्थापित किया जाना अपेक्षित होता है, संसद के सदनों की ओर से मुद्रित किया जाता है। भारत के संविधान, निर्वाचन विधि निर्देशिका, इंडिया कोड के पुनरीक्षित संस्करण, केंद्रीय अधिनियमों, कानूनी नियमों और आदेशों के उपांतरित द्विभाषी (डिगलॉट) संस्करण, वार्षिक रिपोर्टों, आदि के प्रकाशनों के संपादन और प्रूफों की जांच का कार्य भी इस अनुभाग में किया जाता है। यह अनुभाग केंद्रीय अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, राष्ट्रपति के अधिनियमों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशन और विक्रय के लिए उनके पश्चात्वर्ती द्विभाषी (डिगलॉट) रूप में पुनः मुद्रणों के लिए भी उत्तरदायी है।

राजभाषा खंड का मुद्रण अनुभाग प्रकाशन अनुभाग के कर्तव्यों का भी निर्वहन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस अनुभाग द्वारा 38 अधिनियम प्राधिकृत किए गए और 7 अध्यादेशों का प्रकाशन कराया गया। इसके अतिरिक्त, विधि शब्दावली (सातवां संस्करण) तथा भारत का संविधान (हिंदी) (रॉयल 8v0 साइज़) का भी प्रकाशन किया गया।

(12) मानक विधिक दस्तावेजों को तैयार करना और उनका प्रकाशन

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3)(ii) यह अपेक्षा करती है कि केन्द्रीय सरकार या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से किए गए या जारी किए गए करारों, संविदाओं, पट्टों, बंधपत्रों, निविदाओं आदि के लिए हिंदी–अंग्रेजी दोनों भाषाएं प्रयोग की जाएं। उक्त अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन के क्रम में राजभाषा खंड केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए आठ जिल्दों में उनके अनुवाद में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से ऐसे दस्तावेजों के हिंदी पाठ तैयार कर चुका है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 2655 पृष्ठों के संसदीय प्रश्नोत्तरों/आश्वासनों का हिंदी पाठ भी तैयार किया गया।

(13) विधि क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को स्थापित करना

राजभाषा खंड, भारत का संविधान की आठवीं अनुसूची में प्रतिष्ठापित केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी अनुवाद तैयार करने और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में उनका अनुवाद कराने के कार्य को भी निरंतर कर रहा है। जहां तक प्रादेशिक भाषा का संबंध है यह कार्य विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है।

राजभाषा खंड, प्राधिकृत पाठ (केंद्रीय विधि) अधिनियम, 1973 (1973 का 50) की धारा 2 के अधीन यथापरिकल्पित प्रादेशिक भाषाओं में केंद्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत पाठ भी प्रकाशित करता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, कार्य समूह (प्रादेशिक भाषा) द्वारा 21 केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद का अनुमोदन किया गया और 10 केंद्रीय अधिनियमों (गुजराती–5, तेलुगू–5 और उर्दू–4) को राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन इन प्रादेशिक भाषाओं में तथा 38 केंद्रीय अधिनियमों को हिंदी में प्राधिकृत पाठ के रूप में अधिप्रमाणित किया गया। साथ ही, हिंदी के अतिरिक्त, 15 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भारत का संविधान का प्राधिकृत पाठ निकाला गया है, ये हैं,. असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, सिंधी, नेपाल तथा कोंकणीं।

(14) केंद्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, आदि का व्यापक वितरण

केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी पाठों की राजपत्रित प्रतियां, उनके अधिप्रमाणित किए जाने और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के पश्चात सभी हिंदी भाषी राज्यों को भेज दी गई हैं साथ ही इन्हें गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों की सरकारों तथा इन राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी भेजा गया था। इसके अतिक्ति, ये प्रतियां भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशासन, नागरी प्रचारिणी सभा, संसद पुस्तकालय और अन्य पुस्तकालयों को भी भेजा दी गई थीं। केंद्रीय अधिनियमों की द्विभाषी रूप में प्रतियां सभी राज्यों (हिंदी और हिंदीतर भाषा राज्य दोनों), भारत के उच्चतम न्यायालय, संसद पुस्तकालय और सभी उच्च न्यायालयों को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(15) हिंदी सलाहकार समिति से संबंधित कार्य

इस मंत्रालय की ग्यारहवीं हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 14 मई, 2015 के संकल्प संख्या ई. 4(1)/2009–रा.भा.खण्ड (वि.वि.) द्वारा तीन वर्षों के लिए अथवा इस लोकसभा के शेष कार्यकाल तक के लिए किया गया है जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के सदस्य तथा लगभग ग्यारह शासकीय सदस्य और आमंत्रित सदस्य हैं। समिति का कार्य केन्द्र सरकार को निम्नलिखित विषयों पर सलाह देना है :–

(i) केन्द्रीय अधिनियमों और सांविधिक नियमों का हिन्दी रूप तैयार करना ;

(ii) सामान्य विधि शब्दावली का विकास ;

(iii) विधि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा हिन्दी में देने के लिए मानक विधि पुस्तकों को हिन्दी में तैयार करना ;

(iv) विधि जर्नलों और प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन ;

(v) उपर्युक्त मदों में से किसी भी व्याय से आनुयांगिक और सम्बान्धित व्याय ;

(vi) शासकीय प्रयोजन के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए तरीके सुझाना।

(16) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

विधि के क्षेत्र में हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रसार और विकास के लिए संघ और राज्यों की राजभाषाओं के संवर्धन के लिए एक स्कीम है। इस स्कीम के अधीन स्वैच्छिक संगठनों और संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985 से, राजभाषा खंड उन स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहा है, जो विधि और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य, जोकि प्रस्तावित टिप्पणियों, आलेखों, विधिक विषयों पर पुस्तकों, विधि जर्नलों, विधि संग्रह तथा अन्य प्रकाशन जो हिंदी तथा राज्यों की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की समृद्धि, प्रचार तथा विकास में सहायक के रूप में हों, के विकास तथा प्रचार की गतिविधियों में शामिल हैं। न्यायमूर्ति श्री एच.आर. मल्होत्रा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में गठित समिति ने वर्ष 2015–2016 के लिए 14 स्वैच्छिक संगठनों को दस लाख रूपये की राशि वित्तीय सहायता अनुमोदित की है।

(17) राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए किए गए विशेष उपाय

राजभाषा खंड यू आर एल http:\\lawmin.nic.in/olwing है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित संसद के महत्वपूर्ण अधिनियम विभिन्न भाषाओं में राजभाषा खण्ड के होम पेज पर संबंधित भाषाओं के अंतर्गत डाले गए हैं। भर्ती नियमों/अधिसूचनाओं आदि की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराने हेतु राजभाषा खण्ड ने यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग प्रारम्भ किया है।

भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा निर्वाचन विधि निर्देशिका को पहले ही नेट पर उपलब्ध कराया जा चुका है। इस वेबसाइट को, अधिनियमों की एक सूची तथा नियमों और विनियमों की सूची रखकर और समृद्ध बनाया गया है। विधिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा साथ ही विधि के छात्रों के लाभ के लिए 1980 से 2014 तक के अद्यतित केंद्रीय अधिनियम पीडीएफ फार्म में वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, राजभाषा खंड के विधेयक अनुभाग, अनुवाद 1 अनुभाग, अनुवाद 2 अनुभाग, विधायी 1 अनुभाग, विधायी 2 अनुभाग, मुद्रण अनुभाग, संशोधन अनुभाग, प्रशासन अनुभाग, रोक) अनुभाग और पुस्तकालय को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों की कैमरा रैडी प्रतियां तैयार की गई थीं। राजभाषा खंड के समूह 'क' अधिकारियों के नामों, पतों और संपर्क नम्बरों की एक सूची भी नेट पर डाली गई है।

विधि के क्षेत्र में राजभाषाओं के विकास में लगे हुए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना को भी हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में इंटरनेट पर रखा गया है।

40. विधि साहित्य प्रकाशन

वर्ष 1958 में, संसदीय राजभाषा समिति ने सिफारिश की थी कि भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्राधिकृत अनुवाद को प्रकाशित करने के लिए व्यवस्था की जाए और यह कार्य विधि विभाग के पर्यवेक्षणाधीन एक केन्द्रीय कार्यालय को सौंफा जाए। तत्पश्चात् हिन्दी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर वर्ष 1968 में विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधायी विभाग में एक पत्रिका खंड स्थापित किया गया था। इस खंड को बाद में ''विधि साहित्य प्रकाशन'' नाम दिया गया था।

(2) आरंभ में भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी उल्लेखनीय निर्णयों, जो रिपोर्ट किए जाने योग्य के रूप में चिन्हित किए गए थे, का मासिक प्रकाशन अप्रैल, 1968 में आरंभ किया गया था और इसे ''उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका'' नाम दिया गया था। उच्च न्यायालयों के निर्णयों को समाविष्ट करने वाला दूसरा मासिक प्रकाशन, जनवरी, 1969 में आरंभ किया गया था और इसे ''उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका'' नाम दिया गया था। वर्ष 1987 में, ''उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका'' को दो निर्णय पत्रिकाओं, अर्थात् ''उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका'' और ''उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका'' में विभाजित कर दिया गया था। बाद में, उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य निर्णयों में लगातार वृद्धि होने और विधायी विभाग में अपेक्षित संपादकीय कर्मचारिवृन्द की कमी होने के कारण, उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में केवल उच्चतम न्यायालय के रिपोर्ट किए जाने योग्य चयनित निर्णय होते हैं। उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में भी सिविल और दांडिक मामलों के केवल महत्वपूर्ण और चयनित निर्णय होते हैं।

(3) उपर्युक्त तीन पत्रिकाओं के अतिरिक्त, विधि साहित्य प्रकाशन निम्नलिखित कार्य भी करता है :–

(क) शैक्षणिक और अन्य क्षेत्रों में तथा निर्देश पुस्तकों के रूप में उपयोग के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में पाठय पुस्तकों का प्रकाशन;

(ख) हिन्दी में विधिक उच्च साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन ;

(ग) विधि के क्षेत्र में हिन्दी में सर्वोत्तम प्रकाशनों के लिए विभिन्न पुरस्कारों का दिया जाना ;

(घ) विधि साहित्य प्रकाशन के हिन्दी प्रकाशनों और विधायी विभाग के एक दूसरे खंड अर्थात् राजभाषा खंड, विधि और न्याय मंत्रालय के द्विभाषी संस्करणों आदि का विक्रय, और

(ङ) भारत के विभिन्न स्थानों में, विशिष्टयता हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी में विधिक साहित्य को लोकप्रिय बनाने और उनमें सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां और पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित करना।

(4) इसके अतिरिक्त, विधि के विद्यार्थियों, विधि के प्राध्यापकों, अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिए हिन्दी में सुविख्यात विधि विशेषज्ञों द्वारा लिखित विधि की मानक पुस्तकें भी प्रकाशित की जा रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में मूल रूप से हिन्दी में विधि पुस्तकें लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विधि के क्षेत्र में हिन्दी में लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तकों पर प्रतिवर्ष पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

(5) विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए समय–समय पर हिन्दी भाषी और साथ ही गैर–हिन्दी भाषी राज्यों के विधि महाविद्यालयों, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों आदि में संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। विधि साहित्य प्रकाशन अपने और राजभाषा खंड के प्रकाशनों की, जिनमें केन्द्रीय अधिनियमों के द्विभाषी (हिन्दी–अंग्रेजी) संस्करण भी हैं, विभिन्न हिन्दी भाषी/हिन्दीतर भाषी राज्यों में प्रदर्शनियां लगाता है और इन प्रकाशनों के विक्रय का कार्य भी करता है।

(6) ''विधि साहित्य समाचार'' नामक एक त्रैमासिक जर्नल भी प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें विधि के क्षेत्र में विभिन्न कार्यकलापों और विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है। एक ''प्रकाशन सूची'' भी, जिसमें विधि साहित्य प्रकाशन के पास विक्रय के लिए उपलब्ध प्रकाशनों की जानकारी होती है, ग्राहकों को समय–समय पर उपलब्ध करवाई जाती है।

(7) **निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन** : रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, संपादन/अनुवाद के स्तर फर ''उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका'' अक्तूबर–दिसंबर, 2016 तक अद्यतन कर दी गई है और ''उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका'' जनवरी–मार्च, 2016 तक अद्यतन कर दी गई है तथा ''उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका'' अप्रैल–जून, 2016 तक अद्यतन कर दी गई है।

वर्ष 2014 के लिए पत्रिकाओं के नियमित ग्राहकों की स्थिति :

पत्रिका का नाम	ग्राहकों की संख्या
उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका	95
उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका	90
उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका	88

(8) **पुरस्कार प्रदान करना:** हिन्दी भाषा में विधि पुस्तकों के लेखन, अनुवाद और प्रकाशन तथा हिन्दी में लिखी गई और प्रकाशित ऐसी पुस्तकों पर, जिनका उपयोग विधि की पाठय पुस्तकों के रूप में या निर्देश पुस्तकों के रूप में किया जाता है, पुरस्कार देने की स्कीम के अंतर्गत, विधि की मूल पांच शाखाओं में प्रतिवर्ष 5,00,000/– रु. (पांच लाख रुपए) के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस स्कीम में, प्रथम पुरस्कार 50,000/– रुपए (पचास हजार रुपए), द्वितीय पुरस्कार 30,000/– रुपए (तीस हजार रुपए) तथा तृतीय पुरस्कार 20,000/– रुपए (बीस हजार रुपए) दिए जाते हैं। वर्ष 2016 2016 को इस योजना के अंतर्गत हिंदी में विधि की 14 पुस्तकों पर रू 3,,40,000/– के पुरस्कार प्रदान किए गए।

(9) **पुस्तकों का प्रकाशन** : विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा अब तक हिन्दी में 34 मानक विधि पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है।

(10) **संगोठियां, प्रदर्शनियां और पुस्तकों आदि का विक्रय** : वर्ष 2016 में सम्मेलनों तथा पुस्तक प्रदर्शनियों के पश्चात, विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली, अहमदाबाद जिला न्यायालय, बसकांता (पालनपुर), देहरादून, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) में पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। इन प्रदर्शनियों में अधिवक्ताओं ने काफी रूचि दिखाई तथा विधि साहित्य प्रकाशन के प्रकाशनों की अत्याधिक सराहना की। 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विधि साहित्य प्रकाशन का 41,32,940/– रुपए (इकतालिस लाख बत्तीस हजार नौ सौ चालीस रुपए) का सकल विक्रय हुआ।

41. अधिकारियों / प्रतिनिधिमण्डल के विदेश दौरे : विधायी विभाग

विधायी विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों ने निम्न विवरणनुसार के अनुसार विदेशी दौरे किए:–

क्र सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	देश	अवधि	उद्देश्य
1	डॉ जी. नारायण राजू	सचिव	न्यूयॉर्क, यू.एस.ए	27 जून, 2016 से 1 जूलाई, 2016	यूनाईटिड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड लॉ (यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल) के 49वें सत्र में भाग लेने के लिए
2	सुश्री वीना कोठावले	अपन विधायी परामर्शी	वियना, ऑस्ट्रिया	12 सितंबर, 2016 से 23 सितंबर, 2016	यूनाईटिड नेशन कमीशन ऑन ट्रेड लॉ (यू.एन.सी.आई.टी.आर.ए.एल) के 65वें सत्र में भाग लेने के लिए
3	श्रीमती सुनीता आनंद	उप विधायी परामर्शी	कोलंबो, श्रीलंका	4 तथा 5 अक्तूबर, 2016	इंटरलेशनल ह्यूमेनिटेरियन लॉ (आई,एच,एल.) पर द्वितीय क्षेत्रीय विधायी प्रारूपण कार्यशाला में भाग लेने के लिए
4	श्री वाई. एस. राव	उप विधायी परामर्शी	कोलंबो, श्रीलंका	4 तथा 5 अक्तूबर, 2016	इंटरलेशनल ह्यूमेनिटेरियन लॉ (आई.एच.एल.) पर द्वितीय क्षेत्रीय विधायी प्रारूपण कार्यशाला में भाग लेने के लिए

42. सेवा पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त जनों हेतु आरक्षण

विधायी विभाग के तीन प्रशासनिक खण्डों अर्थात विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन की संबंधित इकाइयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्तजनों/पदों के संबंध में आरक्षण संबंधी सरकार के अनुदेशों/आदेशों के कार्यान्वयन पर नज़र रखने के लिए निदेशक स्तर का एक अधिकारी संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत है।

(2) विधायी विभाग (मुख्य), राजभाषा खण्ड तथा विधि साहित्य प्रकाशन में कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनमें से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, निःशक्तजनों तथा महिला कर्मचारियों की संख्या (10.01.2017 के अनुसार) दर्शाने वाली विवरणी संलग्न है **(उपाबंध–X तथा XI)**

43. विधि और न्याय मंत्रालय के वर्ष 2016–17 के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट

विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वे अपर सचिव (वित्त सलाहकार) और मुख्यर लेखा नियंत्रक की सहायता से अपना कार्य करते हैं।

(2) सा.वि. नियम, 2005 के नियम 64 के अनुसार, किसी मंत्रालय/विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/विभाग के मुख्यल लेखा प्राधिकारी होते हैं, वेः–

(i) अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीखय प्रबंधन के लिए उत्तारदायी होंगे।

(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को विनियोजित सार्वजनिक निधि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए हो, जिसके लिए वह निर्धारित की गई है।

(iii) निष्पादन के मानकों का अनुपालन करते हुए मंत्रालय के लिए बताए गए परियोजना–लक्ष्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उत्तररदायी होंगे।

(iv) लोक–लेखा समिति और किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष जांच के लिए उपस्थित होंगे।

(v) उनके मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्य निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा करेंगे और यह देखेंगे कि मंत्रालय के घोषित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएं।

(vi) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा–निर्देशों या निदेशों के अनुसार अपने मंत्रालय के व्ययन–संबंधी और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके मंत्रालय के वित्तीय संव्यवहारों का पूर्ण और उचित रिकार्ड रखा जाए तथा इसके लिए ऐसी प्रणालियां व प्रक्रियाएं अपनाई जाएं जिनसे हर समय आंतरिक नियंत्रण बना रहे।

(viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्य–पालन के लिए और साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों की प्राप्ति के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करे और उसे निष्पक्ष, न्यायोचित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक और लागत–प्रभावी तरीके से लागू करे।

(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और प्रभावी कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालयः

(क) सरकार को शोध्य सभी धन एकत्रित करे।

(ख) अप्राधिकृत, अनियमित और व्यर्थ के व्यय से बचे।

(3) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.2 के अनुसार, मुख्य लेखा नियंत्रक मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्न लिखित के लिए उत्तरदायी होगाः–

(क) समस्त भुगतान वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से करने की व्यवस्था करना, केवल उन कुछ विशेष प्रकार के मामलों को छोड़कर जिनके लिए आहरण और संवितरण अधिकारी भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं।

(ख) मंत्रालय/विभाग के लेखों का संकलन और समेकन करना और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुंत करना, अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदानों की मांगों के लिए वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, उनकी विधिवत लेखा–परीक्षा करवाकर और मुख्य लेखा प्राधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर उसे महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत करना।

(ग) विभाग की विभिन्न अधीनस्थ इकाइयों और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा के रिकार्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्ययवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे जा रहे सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लेन–देन के रिकार्ड के निरीक्षण की व्यवस्था करना।

(4) महालेखा–नियंत्रक, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत का उच्चतम न्यायालय दो प्रधान लेखा अधिकारियों, चार वेतन और लेखा अधिकारियों और अन्य, कर्मचारियों की सहायता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

(5) विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय में 32 सीडीडीओ और 19 एनसीडीडीओ सहित 51 डीडीओ हैं। गैर–चौक वाले आहरण और संवितरण अधिकारी बिलों को भुगतान की 'प्री–चौक' प्रणाली के अंतर्गत वेतन और लेखा अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। सीडीडीओ और एनसीडीडीओ का वेतन और लेखा कार्यालय–वार विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	वेतन और लेखा कार्यालय	आहरण और संवितरण अधिकारी	
		सीडीडीओ	एनसीडीडीओ
1.	वेतन और लेखा कार्यालय (ईओ)	4	3
2.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.का.)	28	11
3.	वेतन और लेखा कार्यालय (एससीआई)	0	1
4.	वेतन और लेखा कार्यालय (वि.वि.)	0	4

(6) सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.3 के अनुसार, नई दिल्ली स्थित प्रधान लेखा कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी है:–

(क) मंत्रालय/विभाग के लेखों को महालेखानियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई रीति से समेकित करना;

(ख) मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदानों की मांगों के वार्षिक विनियोजन लेखा को तैयार करना, संघ सरकार (सिविल) के वित्त लेखे के लिए केन्द्रीय लेन–देन के विवरण और सामग्री को महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत करना;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदानों की अदायगी करना, और जहां भी इस कार्यालय का आहरण लेखा हो, उसमें से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान करना;

(घ) प्रबंध लेखा प्रणाली, यदि कोई हो, के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह देने के लिए नियम–पुस्तिकाएं (मैनुअल) तैयार करना, महालेखा–नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक सम्पर्क बनाए रखना और लेखा संबंधी मामलों में समग्र समन्वनय और नियंत्रण रखना;

(ङ) मंत्रालय/विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुदान–कार्यक्रमों के अधीन व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए पूरे मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखा–परीक्षा रजिस्टरों का रखरखाव करना।

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय के कर्तव्यों को निभाता है और स्थानीय वेतन और लेखा कार्यालयों सहित विभाग को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा संबंधी सलाह भी देता है।

(7) सिविल लेखा नियम–पुस्तिका (मैनुअल) में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन और लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भुगतान करते हैं और कुछ मामलों में भुगतान निधियां आहरित करने के लिए प्राधिकृत किए गए विभागीय आहरण और संवितरण अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यह भुगतान प्रत्यायित बैंक के उन कार्यालयों/शाखाओं के चेक के जरिये किया जाएगा जिन्हें उस मंत्रालय/विभाग की प्राप्तियों और भुगतान के लिए प्राधिकृत किया गया हो। इन भुगतानों का अलग सूचियों में संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन और लेखा कार्यालयों में दिए जाने के लिए लेखा–जोखा दिया जाना होगा। चेक से भुगतान के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी प्रत्यायित बैंक की केवल उसी विशेष शाखा/शाखाओं, जिसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय अथवा आहरण और संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लेखा में रखा गया है, से ही आहरण करेगा। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों का लेखा–जोखा अंत में वेतन और लेखा कार्यालय की बहियों में भी रखा जाएगा। वेतन और लेखा कार्यालय विभागीकृत लेखा संगठन की एक मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:–

- एनसीडीडीओ द्वारा प्रस्तुत ऋणों और सहायता अनुदानों सहित सभी बिलों की पहले जांच करना और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सही और समय पर भुगतान।
- प्राप्तियों की समय पर वसूली।
- चौक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों को त्रैमासिक 'लेटर ऑफ क्रेडिट' जारी करना और उनके वाउचर/बिलों की पड़ताल–जांच करना।
- चौक आहरित करने वाले आहरण और संवितरण अधिकारियों के लेखा को शामिल करते हुए प्राप्तियों और व्यय के मासिक लेखों का संकलन।
- सम्मिलित डीडीओ को छोड़कर जी.पी.एफ. लेखों का रखरखाव और सेवानिवृत्ति–लाभों को प्राधिकृत करना।
- सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।

- बैंकिंग प्रणाली द्वारा ई–भुगतान के जरिये मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखा मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
- समय पर सही, व्यापक, संगत और उपयोगी वित्तीय सूचना देना।

(8) किसी नए वेतन और लेखा कार्यालय का सृजन (अथवा पुनर्गठन) करने के लिए अथवा मंत्रालय/विभाग की लेखा की विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरित करने वाले आहरण व संवितरण अधिकारियों की सूची में नाम जोड़ने के लिए महालेखा–नियंत्रक, वित्त मंत्रालय का विशेष अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(9) विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन के समग्र उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :–

- मंत्रालय के मासिक लेखा को समेकित करना और उसे महालेखा–नियंत्रक को प्रस्तुत करना।
- वार्षिक विनयोग लेखा।
- केन्द्रीय लेन–देन का विवरण।
- 'लेखा एक नजर में' तैयार करना।
- महालेखा–नियंत्रक, वित्त मंत्रालय और प्रधान लेखा–परीक्षा निदेशक को प्रस्तुत किए जाने के लिए संघीय वित्त लेखा।
- राज्य सरकार/अनुदानग्राही संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
- मंत्रालय और वेतन व लेखा अधिकारियों को तकनीकी सलाह देना, यदि इसके लिए आवश्यकता हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय और महालेखा नियंत्रक आदि अन्य संगठनों से परामर्श करना।
- प्राप्ति–बजट तैयार करना।
- पेंशन बजट तैयार करना।
- पीएओध्चेक आहरण कर्ता डीडीओ एवं वैयक्तिक जमा खाता धारकों के लिए और उनकी ओर से चेक बुक प्राप्त करना और प्रदान करना।

- महालेखा–नियंत्रक के कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखा मामलों और प्रत्यायित बैंक के साथ समग्र समन्वय व नियंत्रण रखना।
- विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से अधिकृत बैंक के माध्यम से किए गए समस्त भुगतान और प्राप्तियों का समाधान व सत्यापन करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक में विधि और न्याय मंत्रालय, उच्चतम न्यायालय के खाते रखना और नकद शेष का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशनध्भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- विधि और न्याय मंत्रालय के अधीन मंत्रालय, अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों तथा उनके अनुदानग्राही संस्थानों आदि की आंतरिक लेखा परीक्षा।
- सभी संबंधित प्राधिकारियों को लेखा संबंधी सूचना उपलब्ध कराना।
- विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के बजट का समन्वय का कार्य।
- नई पेंशन योजना और 2006 से पूर्व के और 1990 से पूर्व के सेवानिवृत्त व्यक्तियों के पेंशन संशोधन संबंधी मामलों की मानीटरिंग करना।
- लेखा और ई–भुगतान का कम्प्यूटरीकरण ।
- लेखा संगठन के कार्य का समन्वय और प्रशासन ।
- केन्द्रीय क्षेत्र योजना के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना ।
- वित्त मंत्रालय के मार्ग–निर्देशों के अनुसार, नान टैक्स रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी) को सार्वभौमिक रूप से लागू करना ।

(10) प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मंत्रालय को लेखा सूचना और डाटा भी उपलब्ध कराया जाता है। विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुदान के विभिन्न उप–शीर्षकों के अधीन मासिक और किए जा रहे व्यय के आंकड़े बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों के बरक्स व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ–साथ मंत्रालय के प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है ताकि अनुदानों पर नियंत्रण रहे और व्यय की बेहतर मानीटरिंग हो ।

(1) लेखा संगठन मंत्रालय के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से लिए जाने वाले अग्रिम और मोटर कार अग्रिम व गृह निर्माण अग्रिम जैसे दीर्घकालीन अग्रिमों का भी लेखा रखता है।

(12) मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय कार्यालयों के प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत किए गए सेवा के ब्यौरों और पेंशन कागजात के आधार पर अधिकारियों और स्टाफ के सदस्यों की पेंशन की हकदारियों का सत्यापन करता है और उन्हें प्राधिकृत करता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभों और भुगतान जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी अवकाश के बराबर नकद राशि तथा केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, सामान्य भविष्य निधि के अधीन भुगतान आदि डीडीओ कार्यालय से बिल/आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर मुख्य लेखा–नियंत्रक के कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।

(13) **आंतरिक लेखा–परीक्षा खंड** – आंतरिक लेखा परीक्षा खंड मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखा की जांच करके यह सुनिश्चित करता है कि इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनंदिन कार्यों में सरकार द्वारा निर्धारित नियमों–विनियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है।

आंतरिक लेखा परीक्षा एक संगठन के संचालन को बेहतर बनाने और सुधार करने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ जांच और परामर्श की गतिविधि है। इसका मूल उद्देश्यो जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की कारगरता का मूल्यांकन करके उनमें सुधार लाने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण पेश करके संगठन की सहायता करना है। यह वस्तुनिष्ठ जांच और सलाह प्रदान करने का एक प्रभावी उपकरण भी है, जिससे शासन की गुणवत्ता बढ़ती है, परिवर्तन को बल मिलता है, जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता मिलती है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार होता है। यह प्रक्रियागत त्रुटियों और कमियों को दूर करने के लिए बहुमूल्य सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार प्रबंधन के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करता है। एक इकाई की लेखा परीक्षा की आवर्तिता उसकी प्रकृति और काम और धन की मात्रा से विनियमित होती है।

मंत्रालय के अधीन स्वावयत्त निकायों और अन्य अनुदानग्राही संस्था ओं तथा विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर, विधि और न्यातय मंत्रालय के विभिन्न विभागों और भारत के उच्चातम न्यायालय के अधीन 51 आडिट–यूनिटें/आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। वित्तीय वर्ष, 2015–16 में विधि और न्याय मंत्रालय की केवल पांच (5) यूनिटों की ही लेखा–परीक्षा की गई है। और अधिक यूनिटों/डीडीओ की लेखा–परीक्षा इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि इस मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा खंड के

लिए कोई स्वींकृत पद/स्थायी कर्मचारी नहीं हैं। लेखा–परीक्षा का कार्य विभिन्न वेतन एवं लेखा कार्यालयों और प्रधान लेखा कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।

(14) **बैंकिंग व्यवस्था** – विधि और न्यादय मंत्रालय और भारत के उच्चतम न्यायालय के वेतन और लेखा कार्यालयों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, यूको बैंक और देना बैंक प्रत्यायित बैंक हैं। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए प्रत्यायित बैंक की नामांकित शाखाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं। संबंधित सीडीडीओ/पीएओ द्वारा प्राप्तियों की रसीद भी प्रत्यायित बैंकों को दी जाती है। प्रत्यायित बैंक में कोई परिवर्तन करने के लिए महालेखा–नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशेष अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

15. नई पहल

(i) **ई–भुगतान प्रणाली** – विधि और न्याय मंत्रालय, भारत के उच्चितम न्यायालय के सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में दिनांक 1.4.2012 से द्वितीय चरण के अधीन ई–भुगतान प्रणाली सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है।

चूंकि आयकर अधिनियम, 2000 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार, एक इलेक्ट्रानिक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से अधिप्रमाणित इलैक्ट्रानिक रिकार्ड या डिजिटल हस्ताक्षर वाले दस्तावेजों को मान्यता दी गई है, अतः महालेखा–नियंत्रक ने डिजिटल हस्ताक्षरित इलेक्ट्रानिक सलाह के माध्यम से इलेक्ट्रानिक भुगतान (ई–पेमेंट) के लिए 'काम्पैरक्ट' में एक सुविधा विकसित की है। यह चेक के माध्याम से भुगतान की मौजूदा प्रणाली का स्थान लेगी और केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों में चल रहे 'काम्पैक्ट एप्लिकेशन' के प्रयोग को आगे बढ़ाएगी।

ई–भुगतान प्रणाली एक पूरी तरह से सुरक्षित वेब आधारित इलेक्ट्रानिक भुगतान सेवा की प्रणाली है, जो सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता लाती है। इस प्रणाली के तहत सरकार से देय राशि का भुगतान करने के लिए एक सुरक्षित संचार चौनल अर्थात गवर्नमेंट ई–भुगतान गेटवे (जीईपीजी) के माध्यषम से 'काम्पैक्टग' से जारी एक डिजिटल हस्ताक्षरित ई–सलाह के माध्ययम से प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा किए जाते हैं। इसको लागू करने के लिए मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय से आवश्यक कार्यात्मक और सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त किया गया है। इस प्रणाली को आगामी वर्ष में केंद्रीय सरकार के सभी सिविल मंत्रालयों/विभागों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है।

(ii) गवर्नमेंट ई–पेमेंट गेटवे (जीईपीजी):

गवर्नमेंट ई–पेमेंट गेट वे (जीईपीजी) एक ऐसा पोर्टल है, जिसमें लेन–देन के ऑनलाइन भुगतान के लिए वेतन और लेखा कार्यालयों से सफलतापूर्वक भुगतान किया जा सकता है। यह पोर्टल महालेखा–नियंत्रक के कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है और सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) प्रमाण–पत्र प्रदान किया है। जीईपीजी बैंकों/भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) और पीएओ के कॉम्पैक्ट एप्लिकेशन के बीच एक मध्यवर्ती साधन के रूप में काम करता है और मैनुअल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, ई–पेमेंट एडवाइस और ई–स्क्राल सूचना को स्वचालित बनाता है।

ई–पेमेंट और जीईपीजी प्रणाली की मुख्य बातें

लेन–देन के उच्च सुरक्षा मानक और प्रणाली लॉग

➢ पीएओ एप्लिकेशंस में प्रभावी ई–पेमेंट के लिए निम्नलिखित सुरक्षा अपेक्षाएं मौजूद हैं :

- 128 बिट पीकेआई एन्क्रिप्शन।
- सूचना की सत्यता रू हैश एल्गोरिथम (एसएचएआई) रू सुरक्षा मानक इस प्रकार बनाए गए हैं कि पीएओ द्वारा इंटरनेट पर बैंक को भेजे जा रहे डाटा की गोपनीयता, डाटा की प्रमाणिकता और डाटा की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सके।
- नान–रिप्यूडिएशन – की जनरेशनधडिजिटल हस्ताक्षर, 128 बिट पीकेआई बुनियादी संरचना (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुशंसित) पर आधारित

➢ डिजिटल हस्ताक्षरित ई–पेमेंट के प्राधिकरण के साथ प्रत्येक ई–पेमेंट प्राधिकरण की मदवार ट्रेकिंग और स्वचालित समाधान।

(iii) डिजिटल हस्ताक्षरों का पंजीकरण :

वेतन और लेखा अधिकारी एनआईसी प्रमाणन प्राधिकारी से डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करता है। एनआईसी प्रमाणन प्राधिकारी से प्राप्त डिजिटल हस्ताक्षरों को यूएसबी टोकन जिसे 'आई–की' कहते हैं, में रखा जाता है। वेतन और लेखा अधिकारी इन डिजिटल हस्ताक्षरों को संबंधित मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा कार्यालय के माध्यम से जीईपीजी पोर्टल पर पंजीकृत करता है। संबंधित बैंक पीएओ के डिजिटल हस्ताक्षरों को जीईपीजी पोर्टल से डाउनलोड करते हैं। संबंधित बैंकों के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षरों को भी जीईपीजी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है ताकि बैंकों द्वारा पीएओ को मुहैया कराए गए ई–पेमेंट स्क्राल को अधिप्रमाणित किया जा सके ।

विनियोग लेखा, 2015–16 की मुख्य विशेषताएं

(रू0 करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	बजट अनुमान	अंतिम अनुमान	व्यय	अधिक (+) बचत (–)
अनुदान सं. 64 2052–सचिवालय सामान्य सेवाएं	108.66	109.33	96.19	–13.14
2014–न्याय प्रशासन	411.56	352.80	346.40	–6.40
2015–निर्वाचन	2142.40	1888.80	1858.66	–30.03
2020–आय और व्यय पर करों का संग्रहण	146.08	72.28	65.30	–6.98
2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं	19.85	19.85	17.48	–2.37
2552–उत्तर–पूर्व क्षेत्र	80.66	15.00	–	–15.00
3601–राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	448.69	504.99	503.09	–1.90
3602–संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	63.00	63.00	63.00	–
4070–अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	102.75	15.02	6.82	–8.20
		वर्ष के दौरान वापस जमा की गई राशि		–482.71
योग	**3523.65**	**3040.96**	**2956.94**	**–566.73**
विनियोग सं. 65 भारत का उच्चतम न्यायालय मुख्य शीर्ष 2014 न्याय प्रशासन (प्रभारित)	155.00	171.02	171.02	–

(स्रोतः विनियोग लेखा 2015–16)

अध्याय–III

न्याय विभाग

1. संगठन एवं कार्य

न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय का एक भाग है। सचिव (न्याय) इसके अध्यक्ष है। संगठन के संरचनात्मक ढांचे में 4 संयुक्त सचिव, 6 निदेशक/उप सचिव और 7 अवर सचिव शामिल हैं। न्याय विभाग का स्वीकृत कार्मिक संख्याबल 78 है जिसमें से 19 पद रिक्त हैं। इस विभाग में पदासीन वर्तमान 59 अधिकारियों में से 7 महिला अधिकारी/कर्मचारी (01 महिला परामर्शदाता सहित) कार्यरत है। कार्यरत कर्मचारियों की इस कमी को सेवानिवृत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करके पूरा किया जा रहा है। वर्तमान में न्याय विभाग में 14 परामर्शदाता कार्य कर रहे हैं। न्याय विभाग के कार्य में भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग और पद से हटाया जाना तथा उनके सेवा संबंधी मामले शामिल है। इसके अतिरिक्त, यह विभाग अधीनस्थ न्यायालयों की आधारभूत संरचना विकास से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ–साथ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी कार्यान्वित करता है। न्याय विभाग का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध–XII** पर है।

दृष्टिकोण:

न्याय प्रशासन को सुकर बनाना जिससे कि सभी के लिए न्याय तक पहुंच सरल हो सके और समय पर न्याय प्रदायगी सुनिश्चित हो सके।

मिशन:

उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सेवाओं, न्यायालयों और प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, बेहतर न्याय प्रदायगी की दिशा में न्यायिक सुधारों हेतु नीतियों सहित न्यायालयों और न्यायाधीशों की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।

उद्देश्य:

(i) उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या प्रदान करना।

(ii) न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों को सुकर बनाना।

(iii) न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करना।

(iv) न्यायालयों की आईसीटी–समर्थता और कनैक्टिविटी को सुकर बनाना ।

(v) विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की स्थापना को सुकर बनाना ।

(vi) वित्त आयोग (एफ सी) अनुदान के उपयोग को सुकर बनाना।

(vii) उपेक्षित लोगों के लिए न्याय तक पहुंच को सुकर बनाना ।

उपाबंध – IX

(कृपया अध्याय – II पैरा 2 देखें)

विधायी विभाग (मुख्य) का संगठनात्मक चार्ट
(01.01.2017 की स्थिति के अनुसार)

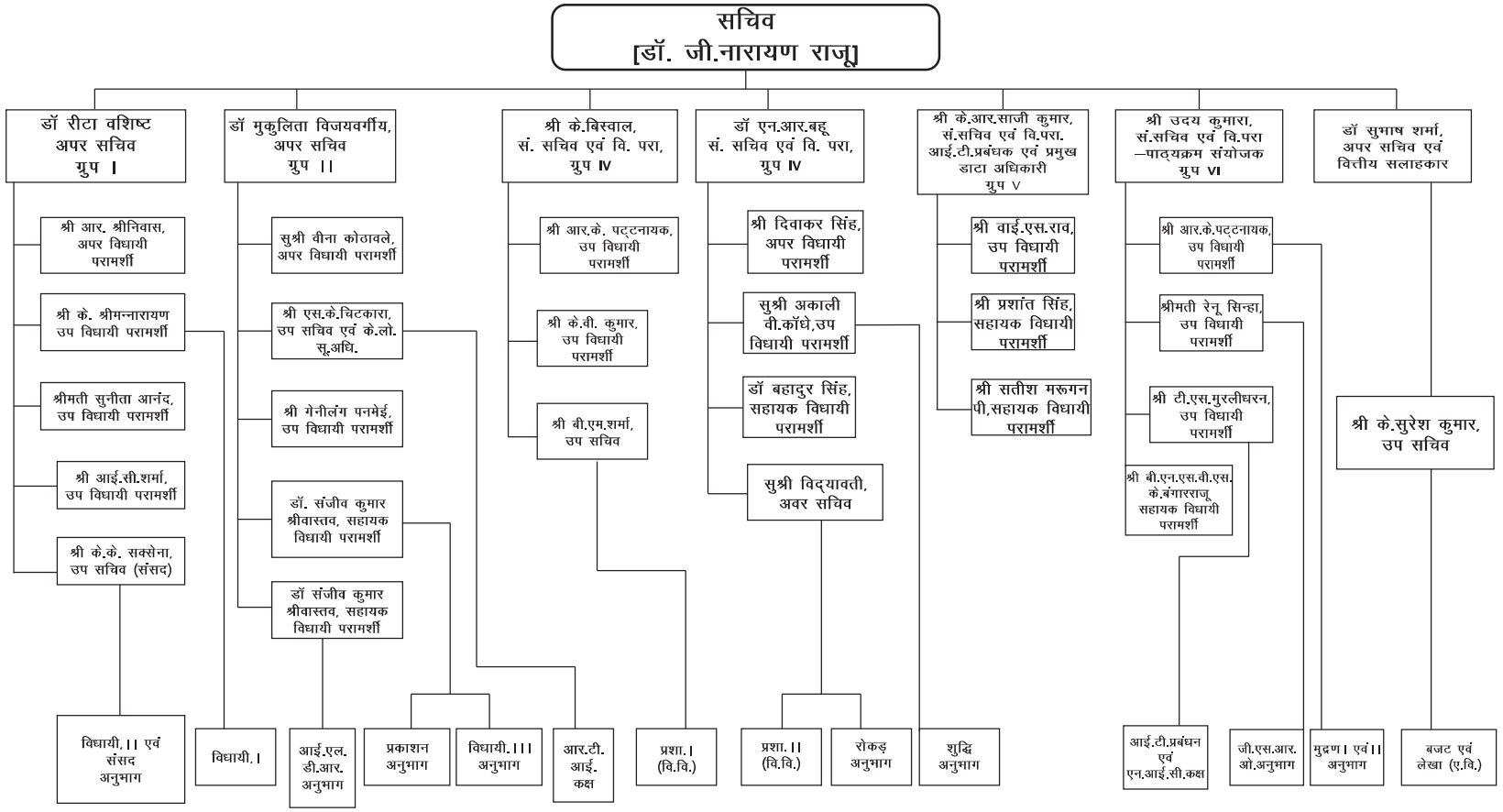

उपाबंध - X

(कृपया अध्याय - II पैरा 42 (2) देखें)

1 जनवरी, 2017 तक की स्थिति के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या तथा उनके बीच अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा निःशक्त जनों की संख्या दर्शाने हेतु सारणी (पैरा 18 देखें)

श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अनु. जाति	%	अनु. जनजाति	%	अन्य पिछड़ा वर्ग	%	भूतपूर्व सैनिक	%	निःशक्त जन	%
ए	70	8	11.4	4	5.7	10	14.2	—	—	2	2.8
बी	110	20	18.1	2	1.8	12	10.9	—	—	3	2.7
सी	114	36	31.5	9	7.8	15	13.1	—	—	—	—
कुल	**294**	**64**	**21.7**	**15**	**4.6**	**37**	**12.5**	—	—	5	**1.7**

उपाबंध - XI

(कृपया अध्याय - II पैरा 42 (2) देखें)

1 जनवरी, 2017 तक की स्थिति के अनुसार विधायी विभाग में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व :

श्रेणी	**कर्मचारियों की कुल संख्या**	**महिला कर्मचारियों की कुल संख्या**	**प्रतिशत**
श्रेणी 'ए'	70	15	21.4
श्रेणी 'बी'	110	34	30.9
श्रेणी 'सी'	114	12	10.5
कुल	**294**	61	**20.7**